Part – I

A

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक – 13 जुलाई, 2026 सेशन प्रकरण संख्या – 119/2023 सीएनआर संख्या – RJCH010011162023 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 38/2023 पुलिस थाना सदर चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	1. श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक, चूरू 2. श्री नरेन्द्र सिहाग, योग्य अधिवक्ता परिवादी पक्ष
ACCUSED	1. इमरान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू 2. इरफान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू 3. मकसूद खान पुत्र फैजू खान उम्र 53 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री सलीम खान व श्री असीम खान, योग्य अधिवक्तागण – अभियुक्तगण

B

Date of Offence	16.04.2023
Date of FIR	16.04.2023
Date of Chargesheet	17.07.2023 (In Lower Court) After committed received on 28.07.2023
Date of Framing of Charges	03.02.2024
Date of commencement of evidence	06.03.2024
Date on which judgment is reserved	13.07.2026
Date of the Judgement	13.07.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	इमरान खान	20.04.2023	07.05.2024	341, 302, 307 and 323 सपठित 34 IPC	दोषसिद्ध	धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास एवं 50,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 323 में 06	20.04.2023 से 07.05.2024

						माह का साधारण कारावास एवं 1,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास) तथा धारा 341 में 01 माह का साधारण कारावास एवं 500/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास) से दण्डित किया जाता है।	
2	इरफान खान	01.05.2023	14.11.2024	341, 302, 307 and 323 सपठित 34 IPC		धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास एवं 50,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 323 में 06 माह का साधारण कारावास एवं 1,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास) तथा धारा 341 में 01 माह का साधारण कारावास एवं 500/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास) से दण्डित किया जाता है।	01.05.2023 से 14.11.2024
3	मकसूद खान	01.05.2023	19.10.2023	341, 302, 307 and 323 सपठित 34 IPC		धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास एवं 50,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास), धारा 323 में 06 माह का साधारण कारावास एवं 1,000/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास) तथा धारा 341 में 01 माह का साधारण कारावास एवं 500/– अर्थदण्ड (अदायगी न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास) से दण्डित किया जाता है।	01.05.2023 से 19.10.2023

PART–II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)

पी.डब्ल्यू. 1	इरफान खां	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, घटना का विवरण, अभियुक्तों की उपस्थिति एवं मारपीट
पी.डब्ल्यू. 2	डॉ. नवीन सिमटवाल	पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के सदस्य
पी.डब्ल्यू. 3	महेन्द्र कुमार	अनुसन्धान की प्रारम्भिक कार्यवाही / पुलिस साक्षी
पी.डब्ल्यू. 4	तासीम खां	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 5	युसुफ खां	परिवादी, घायल एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पर्चा बयान
पी.डब्ल्यू. 6	डॉ. राजीव	चिकित्सकीय साक्ष्य
पी.डब्ल्यू. 7	शौकत खां	जब्ती एवं नक्शा मौका सम्बन्धी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 8	शौकत खां पुत्र ऐवज खां	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 9	आरिफ खां	घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 10	महेन्द्र सिंह	अभियुक्त इमरान की गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू. 11	कृष्ण कुमार	इमरान से लोहे के पाइप की बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 12	धर्मेन्द्र कुमार	गिरफ्तारी, धारा 27 की सूचना एवं बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 13	सरजीत सिंह	इरफान से पाइप एवं मकसूद से लाठी की बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 14	शौकत अली	मृतक का भाई, प्रत्यक्षदर्शी एवं मोटिव
पी.डब्ल्यू. 15	नवीन कुमार	धारा 27 की सूचना एवं तस्दीक कार्यवाही
पी.डब्ल्यू. 16	मनीराम	मालखाना में वजह सबूत जमा होना
पी.डब्ल्यू. 17	देवी सिंह	मालखाना अभिरक्षा एवं एफएसएल प्रेषण
पी.डब्ल्यू. 18	सन्दीप कुमार	एफएसएल में वजह सबूत जमा करना
पी.डब्ल्यू. 19	सुनील कुमार	इरफान एवं मकसूद की गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू. 20	राजेन्द्र कुमार बुरड़क	अग्रिम अनुसन्धान एवं चालान
पी.डब्ल्यू. 21	विरेन्द्र सिंह	पर्चा बयान, एफआईआर एवं प्रारम्भिक अनुसन्धान
पी.डब्ल्यू. 22	कृष्ण कुमार गुगड़	फॉरेंसिक निरीक्षण, फोटोग्राफ एवं निरीक्षण रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 23	डॉ. प्रियंका शर्मा	पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु का कारण
पी.डब्ल्यू. 24	डॉ. जमशीद बानो	आरिफ का चोट प्रतिवेदन एवं चिकित्सकीय राय
पी.डब्ल्यू. 25	डॉ. आशीष तिवाड़ी	युसुफ का चोट प्रतिवेदन
पी.डब्ल्यू. 26	रजीराम	अनुसन्धान अधिकारी, सम्पूर्ण अनुसन्धान एवं बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 27	डॉ. सोमवीर	फरमान एवं आरिफ का प्रारम्भिक उपचार

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness,

		Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	फर्द सूरतहाल लाश एवं पंचायतनामा
2	प्रदर्श पी–2	फर्द सुपुर्दगी लाश
3	प्रदर्श पी–3	मृतक के खून से सने कपड़ों की जब्ती
4	प्रदर्श पी–4	युसुफ के खून से सने कपड़ों की जब्ती
5	प्रदर्श पी–5	आरिफ के खून से सने कपड़ों की जब्ती
6	प्रदर्श पी–6	घटना स्थल का नक्शा मौका
7	प्रदर्श पी–6 ए	हालात मौका
8	प्रदर्श पी–7	रक्तयुक्त एवं सादी कंक्रीट की जब्ती
9	प्रदर्श पी–8	आरिफ को कपड़े प्रस्तुत करने का नोटिस
10	प्रदर्श पी–9	अभियुक्त इमरान की गिरफ्तारी
11	प्रदर्श पी–10	इमरान से लोहे के पाइप की बरामदगी
12	प्रदर्श पी–11	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
13	प्रदर्श पी–12	इमरान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
14	प्रदर्श पी–13	इरफान की गिरफ्तारी
15	प्रदर्श पी–14	इरफान की धारा 27 सूचना
16	प्रदर्श पी–15	मकसूद की गिरफ्तारी
17	प्रदर्श पी–16	मकसूद की धारा 27 सूचना
18	प्रदर्श पी–17	इरफान से लोहे के पाइप की बरामदगी
19	प्रदर्श पी–18	इरफान बरामदगी का नक्शा मौका
20	प्रदर्श पी–19	मकसूद से लाठी की बरामदगी
21	प्रदर्श पी–20	मकसूद बरामदगी का नक्शा मौका
22	प्रदर्श पी–21	इरफान की अतिरिक्त धारा 27 सूचना
23	प्रदर्श पी–22	मकसूद की अतिरिक्त धारा 27 सूचना
24	प्रदर्श पी–23	तस्दीक घटना स्थल
25	प्रदर्श पी–24	इमरान की अतिरिक्त धारा 27 सूचना
26	प्रदर्श पी–25	इमरान का तस्दीक स्थल
27	प्रदर्श पी–26 एवं 26 ए	मालखाना रजिस्टर एवं प्रमाणित प्रति
28	प्रदर्श पी–27 से पी–32	एफएसएल अग्रेषण पत्र एवं प्राप्ति रसीदें
29	प्रदर्श पी–33	एफआईआर
30	प्रदर्श पी–34	फॉरेंसिक निरीक्षण रिपोर्ट
31	प्रदर्श पी–35	निरीक्षण रिपोर्ट का कवरिंग लेटर
32	प्रदर्श पी–36 एवं पी–37	घटनास्थल के फोटोग्राफ
33	प्रदर्श पी–38	धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण–पत्र
34	प्रदर्श पी–39	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
35	प्रदर्श पी–40, 41 एवं 42	एफएसएल रिपोर्ट
36	प्रदर्श पी–43	आरिफ का चोट प्रतिवेदन
37	प्रदर्श पी–44	आरिफ की चोट सम्बन्धी चिकित्सकीय राय

38	प्रदर्श पी–45	चिकित्सकीय राय हेतु पुलिस पत्र
39	प्रदर्श पी–46	युसुफ का चोट प्रतिवेदन
40	प्रदर्श पी–47	एफएसएल रिपोर्ट
41	प्रदर्श पी–57	फरमान का रोगी उपचार पत्र
42	प्रदर्श पी–58	फरमान का इंडोर टिकट
43	प्रदर्श पी–59	आरिफ का रोगी उपचार पत्र

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श डी–1	गवाह इरफान खां का पुलिस बयान धारा 161 दप्रसं
2	प्रदर्श डी–2	गवाह युसुफ खां का का पुलिस बयान धारा 161 दप्रसं
3	प्रदर्श डी–3	गवाह आरिफ खां का का पुलिस बयान धारा 161 दप्रसं
4	प्रदर्श डी–4	गवाह शौकत अली का का पुलिस बयान धारा 161 दप्रसं

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	आर्टिकल–1 से 4	मृतक फरमान के खून से सने कपड़े
2	आर्टिकल–5	उक्त कपड़ों की थैली जिसमें सील किया
3	आर्टिकल–6	रक्तयुक्त कंक्रीट
4	आर्टिकल–7	सादा कंक्रीट
5	आर्टिकल–8	रक्तयुक्त पारचात मजरूब युसुफ
6	आर्टिकल–9	लोहे का पाईप
7	आर्टिकल–10	काठ की लाठी
8	आर्टिकल–11	लोहे का पाईप

– नि र्ण य –

दिनांक – 13 जुलाई, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.04.2023 को आहत युसुफ खां पुत्र चिने खां द्वारा एक पर्चा बयान इस आशय का दर्ज करवाया कि उनके मौहल्ला के जाफर खां पुत्र फेजु खां के परिवार से काफी दिनों से रंजिश चल रही है। जाफर खां के परिवार वाले उन्हें मारने की ऐलानिया धमकियां पूर्व में दी गयी थी। आज दिनांक 16.04.2023 को वह तथा उनके परिवार के भतीजा आरिफ खां व फरमान खां मस्जिद में नमाज पढ़कर वक्त करीबन 5.35 पीएम पर उनके घर जा रहे थे रास्ते में पूर्व से तैयार ईरफान पुत्र जाफर खां, ईमरान पुत्र जाफर खां, जाफर खां पुत्र फेज खां, मकसुद खां पुत्र फेजु खां, खुशी उर्फ शमशेर पुत्र आसीन खां निवासीगण घांघू जो उन्हें रास्ता जाते को रोककर जान से मारने के लिये एकराय होकर हमला किया। ईमरान, ईरफान, जाफर, खुशी उर्फ शमशेर के हाथों में लोहा का पाईप व मकसुद खां के हाथ में लाठी थी। इरफान ने फरमान के सिर में लोहे की पाईप की मारी व इमरान ने आसीफ के सिर में लोहे के पाईप की मारी। जाफर व मकसूद ने उसके चोट मारी फिर बाद में सभी ने मिलकर चोटें कारित की। उनके द्वारा बचाओ बचाओ का रोला किया तो उनके परिवार व मौहल्ला के शौकत खां पुत्र ऐवज खां, शौकत पुत्र उमरखां, इरफान खां पुत्र उमर खां, तासीम पुत्र जब्बार

खां ने छुड़वाया। मारपीट में फरमान व आरीफ के सिर में गम्भीर चोटे लगी जिस कारण मौका पर बेहोश हो गए, इत्यादी तथ्यों के उक्त पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2023 जुर्म दफा 307, 323, 341 व 143 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसन्धान फरमान की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बाद अनुसन्धान अभियुक्तगण इमरान खान, इरफान खान व मकसूद खान के विरूद्ध जुर्म दफा 341, 323, 307 व 302/34 भारतीय दण्ड संहिता (विकल्पतः धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता) में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्तगण जाफर व खुशी उर्फ शमशेर के विरुद्ध अनुसन्धान धारा 173(8) सीआरपीसी के अन्तर्गत लम्बित रखा गया। जहाँ से प्रकरण इस न्यायालय के सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार का होने से इस न्यायालय में उपार्पित किया गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा 341, 302/34, 307/34 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप अलग से विरचित कर सुनाए व समझाए गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार 27 गवाहान के कथन लेखबद्ध करवाए गए तथा प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 59 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

(4) अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को झूठा फँसाया जाना तथा झूठी बरामदगी दर्शायी जाना कथन किया है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई किन्तु अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श डी 04 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए है।

(5) पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल हुआ है कि दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 5:35 बजे ग्राम घांघु में मस्जिद से परिवादी युसफ के घर जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर अमीष डिजिटल स्टूडियो के पास अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से परिवादी युसफ, फरमान एवं आरिफ का रास्ता रोककर लोहे की सरियों एवं लाठियों से मारपीट की, जिससे फरमान की मृत्यु कारित हुई तथा आरिफ को प्राणघातक चोटें पहुँचीं तथा युसफ को साधारण चोटें आई ?**

2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(6) सर्वप्रथम इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिन गवाहान को परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य का विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार से हैः–

(7) पी.डब्ल्यू. 1 इरफान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को वह नमाज पढ़ने के लिए गया था और उसके साथ युसुफ खान, फरमान, आरिफ, शौकत खान पुत्र उमरदीन तथा शौकत पुत्र एवज खान भी थे, नमाज पढ़ने के बाद वह पहले वापस आ गया जबकि अन्य लोग बाद में आए, जब वह नमाज पढ़कर लगभग 10–15 कदम आगे बढ़ा तब इमरान, जाफर, खुशी उर्फ शमशेर एवं मकसूद एक साथ वहां आए, जिनमें इमरान, जाफर, खुशी उर्फ शमशेर के हाथों में लोहे के पाइप तथा मकसूद के हाथ में लाठी थी और इन सभी ने एक साथ युसुफ खान, फरमान खान एवं आरिफ पर जान से मारने की नीयत से लाठी एवं लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे फरमान की मृत्यु हो गई जो एस.एम.एस. अस्पताल में हुई थी, वह फरमान को पहले स्थानीय अस्पताल, फिर चूरू तथा बाद में जयपुर अस्पताल लेकर गया और फरमान के साथ आरिफ को भी अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसे भी गम्भीर चोटें आई थी, मारपीट करने वाले व्यक्ति घटना स्थल से चले गए और जब लगभग 10–15 व्यक्ति वहां एकत्रित हुए तब वे वहां से भाग गए, ये सभी व्यक्ति उसी मोहल्ले के निवासी थे, मारपीट का कारण यह बताया गया कि घटना से पूर्व उनके बच्चे के जन्मदिन पर जाफर पुत्र फत्तू खान के साथ

विवाद हुआ था, इसके बाद उसके पिता उमरदीन खान एवं जाफर खान द्वारा थाने में रिपोर्ट दी गई थी किन्तु बाद में गांव के बुजुर्गों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया तब से जाफर खान रंजिश रखने लगा था और इसी रंजिश के कारण फरमान, आरिफ एवं युसुफ को चोटें पहुंचाई गई।

(8) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि मृतक फरमान उसका छोटा भाई था। आरिफ उसके ताऊ का बेटा है। युसुफ उसका सगा चाचा लगता है। उसने तीनों घायलों को पहले घांघू अस्पताल में चैक करवाया था, जहाँ से उन तीनों को चूरू रैफर कर दिया गया था। वह किराये की बोलेरो गाड़ी से उन तीनों को चूरू लेकर आया था। तीनों घायलों को उसने व मोहल्ले के लोगों ने गाड़ी में डाला था। घटना स्थल से घांघू के सरकारी अस्पताल में घायलों को टैम्पो में लेकर गये थे। टैम्पो चालक का नाम बाबू था, जो मोहल्ले का ही था। फिर वह घायलों को चूरू अस्पताल लेकर आया था, जो किराये की बोलेरो गाड़ी से लेकर आया था। बोलेरो गाड़ी घांघू गाँव से किराये पर ली थी, किसकी थी, उसे पता नहीं। बोलेरो गाड़ी का चालक जाट समाज से था, जिसके चालक का नाम उसे ध्यान नहीं। फरमान को उसने गोद में नहीं लिया था, मोहल्ले के अन्य लोगों ने लिया था। घांघू अस्पताल जाने तक व वहाँ से चूरू अस्पताल जाने तक उसके कपड़ों पर खून नहीं लगा था लेकिन उसके हाथों पर खून लगा था। जब वे चूरू अस्पताल में घायलों को लेकर आये थे तब पुलिस अस्पताल में आ गई थी। उसने कहा कि रमजान के महीने में मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। यह जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजी एक साथ बाहर आयें। मस्जिद में कितने नमाजी थे, उसने गिने नहीं थे। उस रोज मस्जिद में लगभग 35–40 नमाजी हो सकते हैं। मस्जिद में उपस्थित 35–40 नमाजियों में कौन–कौन था, वह नाम नहीं बता सकता। घटना मस्जिद के पास में हुई थी, जो गेट के थोड़ा आगे चलकर हुई थी। घटना मस्जिद के गेट से 4–5 कदम आगे हुई थी। उसने कहा कि घटना के समय नमाजी मस्जिद के गेट से बाहर निकल रहे थे। उसके हिसाब से मस्जिद के मौलाना ने घटना नहीं देखी। घटना स्थल से लगभग 10 कदम की दूरी पर गाँव का बस स्टैण्ड है व पास में ही ग्राम पंचायत का कार्यालय भी है। गाँव के लगभग 10–15 आदमियों ने घटना देखी थी। उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में पाँचों मुलजिमान द्वारा एक साथ मारपीट करने में नाम लिखवाया था। उसने प्रदर्श डी –1 के ए से बी भाग "इरफान पुत्र जाफर............मारपीट कर रहे थे" में पाँचों मुलजिमानों का नाम लिखवाया था , पुलिस ने तीन मुलजिमानों का नाम ही क्यों लिखा, वह नहीं बता सकता। उसने पाँचों मुलजिमानों का साथ में ही मारपीट करना लिखवाया था, अलग–अलग मारपीट करना नहीं लिखवाया था। प्रदर्श डी–1 का हिस्सा सी से डी "ईतने में ....पाईप लेकर आ गए" गलत लिखा है। वह घायल को जयपुर अस्पताल लेकर गया था। आरिफ जयपुर अस्पताल में चार दिन तक भर्ती रहा था, फिर उसे छुट्टी दे दी थी। दिनांक 16.04.2023 के बाद पुलिस घांघू गाँव में आयी थी, उसके चार दिन बाद, पाँच दिन बाद व छः दिन बाद भी पुलिस गाँव में आयी थी। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। वह पुलिसवालों से इस दौरान नहीं मिला था। उसे ध्यान नहीं है कि वह पुलिसवालों से किस तारीख को मिला था। उसने कहा कि वह घटना के 4–5 दिन बाद एसपी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए परिवारवालों के साथ आया था कि मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उसके बयान घटना के ढाई माह बाद लिये हों। वह इस अवधि में गाँव में ही रहा था, बीच में चार–पाँच दिन पास के गाँव राजपुरा में गया था। उसने फरमान के सिर में व पीठ पर चोट लगी हुई देखी थी। आरिफ के सिर, पीठ व पैर में चोट लगी हुई देखी थी। उसने स्वीकार किया कि उसके बीच –बचाव करने के दौरान कोई चोट नहीं लगी थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसके बीच –बचाव करने के दौरान चोटें इसलिए नहीं लगी हों कि वह मौके पर उपस्थित नहीं हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह परिवार का सदस्य होने के कारण मौके का झूठा गवाह बना हो तथा मृतक का भाई होने के कारण झूठे बयान दे रहा हो। उसने स्वीकार किया कि जन्मदिन की बात को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उसमें गाँव में पंचायत करवाकर राजीनामा करवा दिया था।

(9) पी.डब्ल्यू. 2 आज़म अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को पुलिस द्वारा जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में उसके समक्ष मृतक फरमान की बॉडी की शिनाख्त कराई गई थी, मृतक फरमान की फर्द सुरतहाल लाश एवं पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–01 है,

इसके बाद पोस्टमार्टम उपरांत पुलिस द्वारा मृतक फरमान की लाश उनके सुपुर्द की गई, जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–02 है, पुलिस ने उसके समक्ष मृतक फरमान के खून से सने कपड़े, जिनमें एक पायजामा, काले रंग की टी–शर्ट, बनियान एवं अंडरवियर शामिल थे, अपने कब्जे में लेकर सील–मोहर किए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–03 है, पुलिस ने उसके समक्ष घायल युसुफ खान के खून से सने कपड़े जब्त किए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–04 है तथा पुलिस ने उसके समक्ष घायल आरिफ के खून से सने कपड़े भी जब्त कर सील–मोहर किए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–05 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने मृतक फरमान के सिर में चोट देखी थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी के अंदर कितनी चोटें थी, वह नहीं बता सकता। उसने मृतक फरमान के सिर पर पट्टी बंधी हुई देखी थी, इसके अलावा उसने उसके शरीर पर और कोई चोट नहीं देखी थी। मृतक फरमान उसका भतीजा लगता था। मृतक फरमान का ग्रे कलर का पजामा, एक टी–शर्ट तथा एक नीले रंग की अण्डरवियर पुलिस ने लिए थे, जिनका पुलिस ने क्या किया, उसे पता नहीं, उसने केवल देखा था। पुलिस ने उसके सामने इन कपड़ों को जब्त कर लिया था तथा उसकी लिखापढ़ी करके उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे। जब्ती की कार्यवाही कैसे की थी, उसे ध्यान नहीं। पुलिस ने जब्ती के समय उसके सामने आग जलाने की कोई कार्यवाही नहीं की थी। पुलिस ने उसके सामने जब्ती की लिखापढ़ी पैन से की थी तथा उसी पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उन्होंने प्लास्टिक की थैली में कपड़े डालकर पुलिस को दे दिए थे। आरिफ व युसुफ के कपड़ों को अलग–अलग प्लास्टिक की थैली में डालकर पुलिस को दिए थे।

(10) पी.डब्ल्यू. 3 तौफिक अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को वह जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में उपस्थित था, जहां उसी दिन मुर्दाघर के पास मृतक फरमान खान की लाश के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा उसके समक्ष लिखापढ़ी की गई तथा फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचनामा तैयार किया गया, जो पंचनामा पांच व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसमें फरमान की बॉडी का विवरण अंकित किया गया था, उक्त पंचनामा प्रदर्श पी–1 है।

(11) पी.डब्ल्यू. 4 आदिल खान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में पुलिस द्वारा उसके समक्ष मृतक फरमान के खून से सने कपड़े, जिनमें ग्रे रंग का पायजामा, काले रंग की टी–शर्ट, स्लेटी रंग की बनियान एवं एक अंडरवियर शामिल थे, अपने कब्जे में लेकर सील–मोहर किए गए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–03 है, उसी दिन मुर्दाघर के पास मृतक फरमान खान की लाश के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा उसके समक्ष लिखापढ़ी की गई तथा फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचनामा तैयार किया गया, जो पंचनामा पांच व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसमें फरमान की बॉडी का विवरण अंकित किया गया था, उक्त पंचनामा प्रदर्श पी–1 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसके सामने मृतक के चार कपड़े जब्त किए थे। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–03 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किए हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि उसके सामने मृतक का कोई पारचात जब्त नहीं किया हो। मृतक फरमान उसके ताऊजी का लड़का है, जो उसका भाई लगता है।

(12) पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 05:30 बजे वह नमाज पढ़कर अपने गांव घांघू की जामा मस्जिद से निकला था और उसके साथ उसका भतीजा फरमान तथा आरिफ भी थे, मस्जिद से बाहर निकलते ही गांव के जाफर खां पुत्र फेजु खां, मकसूद खां पुत्र फेजु खां, इमरान पुत्र जाफर खां, इरफान पुत्र जाफर खां एवं खुशी उर्फ शमशेर पुत्र आमीन खां वहां आए, जिनमें मकसूद को छोड़कर अन्य सभी के हाथों में लोहे के सरिये थे तथा मकसूद के हाथ में लाठी थी और आते ही उन्होंने आगे चल रहे फरमान एवं आरिफ को मारना शुरू कर दिया तथा उसके बाद उसे भी चोटें पहुंचाई, इस प्रकार सभी ने मिलकर तीनों के साथ मारपीट की, इसके पश्चात उन्हें छुड़ाने के लिए शौकत पुत्र एवज खां, शौकत पुत्र उमर खां, इरफान पुत्र उमर खां, आसिफ पुत्र नजीर खां एवं कासिम पुत्र जब्बार खां वहां आए, जिनके आने पर सभी हमलावर वहां से भाग गए, इसके बाद उन्हें गांव के अस्पताल ले जाया गया जहां से चूरू रेफर किया गया, चूरू में डॉक्टरों द्वारा फरमान एवं आरिफ को जयपुर रेफर कर दिया गया जबकि उसका उपचार चूरू में ही

हुआ, पुलिस द्वारा अस्पताल में उसके बयान लिए गए जो पर्चा बयान प्रदर्श पी –6 है, पुलिस ने उसके कपड़े लेने के लिए नोटिस दिया जो प्रदर्श पी–7 है तथा कपड़े लेने की फर्द प्रदर्श पी–4 है, उसने यह भी कहा कि पुरानी रंजिश के कारण मुलजिमान द्वारा मारपीट की गई तथा उसका मेडिकल मुआयना एवं एक्स–रे भी हुआ, जिसमें डॉक्टर द्वारा उसके सिर, कंधे एवं घुटनों पर चोटें पाई गई, जो उक्त मारपीट में आई थी।

(13) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि फरमान, इमरान व शौकत, तीनों उमरदीन के लड़के हैं। शौकत वर्तमान में विदेश में है। उमरदीन उसका सबसे बड़ा व सगा भाई है। आसिफ पुत्र नजीर खां उसका कुछ नहीं लगता है, वह उनके मोहल्ले का है। उसने स्वीकार किया कि उसने मुख्य परीक्षा में आसिफ पुत्र नजीर खां का नाम छुड़ाने वालों में लिखाया है लेकिन पर्चा बयान प्रदर्श पी –6 में उसका नाम नहीं लिखाया था। उसके पुलिस में बयान हुए थे। उसे याद नहीं है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 में उन्हें छुड़ाने वालों में आसिफ पुत्र नजीर खां का नाम लिखवाया था या नहीं। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श डी–2 में उन्हें छुड़ाने वालों में आसिफ पुत्र नजीर खां का नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर स्वयं कहा कि हो सकता है वह लिखाना भूल गया हो। उसने स्वीकार किया कि घटना को लगभग एक साल होने से सारी बातें उसे आज याद नहीं हैं। उसने स्वीकार किया कि घटना के समय रमजान का महीना था तथा रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ जाती है। उस दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों में लगभग 20–30 आदमी थे। यह जरूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद नमाजी एक साथ मस्जिद से बाहर आ जाते हों, फिर स्वयं कहा कि कुछ अन्दर रह जाते हैं और कुछ बाहर आ जाते हैं। घटना के समय रोला सुनकर कितने आदमी आये होंगे, उसे ध्यान नहीं, फिर कहा कि 2–4 आदमी बाहर आये होंगे। उसने इस कथन का खण्डन किया कि शौकत खां पुत्र एवज खां उसका दोस्त है, फिर स्वयं कहा कि वह उनके मोहल्ले का है। उसके शौकत खां पुत्र एवज खां के साथ सामान्य सम्बन्ध हैं। फरमान व आरिफ उससे लगभग 2–4 कदम आगे चल रहे थे। मुलजिमान सामने से आये थे। सबसे पहले इमरान ने आरिफ के चोट मारी थी, जो सामने से मारी थी। फरमान के इरफान ने चोट मारी थी, फरमान आरिफ को नीचे से उठाने के लिए झुका था तब उसके चोट मारी थी। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि फरमान व आरिफ के चोटें मारने के तुरन्त बाद पहले जाफर ने लोहे के पाईप की सिर में मारी, फिर मकसूद व खुशी ने लाठी से उसके चोटें मारी। उसने छुड़ाने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे छुड़ाने का समय नहीं मिला था। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसे फरमान की चोटें गिनने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसके भी चोटें लगी थी। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसे आरिफ की चोटें गिनने का अवसर नहीं मिला क्योंकि उसके भी चोटें लगी थी। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुलजिम इरफान के हाथ में जो पाईप उसने देखा, उसकी साईज एक मीटर के आस–पास थी। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उक्त पाईप जी.आई. पाईप था। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि इमरान के हाथ में भी जी.आई. पाईप था। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि जो नल की टूंटी में काम आता है, वही जी.आई. पाईप होता है। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसने पाईपों पर खून नहीं देखा था। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसने मकसूद के हाथ में जो लाठी बताई है, उस पर भी खून नहीं देखा था। प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 व पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 में यह बात लिखवाई थी कि पहले उन्हें घांघू अस्पताल लेकर गये थे, फिर कहा कि उसे पूरा याद नहीं। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–6 में उन्हें पहले घांघू अस्पताल लेकर जाना नहीं लिखा है, सीधा डी.बी. अस्पताल, चूरू लेकर जाने का लिखा है, फिर स्वयं कहा कि एक की तो मेडिकल रिपोर्ट ही घांघू अस्पताल से आयी है, जो आरिफ की है। उसे भी घांघू अस्पताल में दिखाया था, उसकी वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी, उन्हें वहाँ से हाथों–हाथ रैफर कर दिया था। घांघू अस्पताल वालों ने रैफर कार्ड किसे दिया, उसे ध्यान नहीं। उसके पुलिस में बयान 18.04.2023 को हुए थे। शौकत पुत्र एवज खां, शौकत पुत्र उमर खां आदि मारपीट होते ही तुरन्त आ गये थे, जो एक–दो मिनट के अन्दर आ गये थे। जब छुड़ाने वाले शौकत पुत्र एवज खां, शौकत पुत्र उमर खां आदि आये तब मारपीट करने वाले उत्तर दिशा की तरफ नहीं भागे थे बल्कि उनके आने के बाद भागे थे। मारपीट के बाद रोड पर खून पड़ा था। उसने मुलजिमानों के कपड़ों पर खून नहीं देखा। उसने नहीं देखा कि उन्हें छुड़ाने वाले जब उन्हें उठा

रहे थे तब उनके कपड़ों पर खून लगा था या नहीं। मारपीट से उन तीनों के कपड़े खून से लथपथ हो गये थे। उन्हें घटना स्थल से अस्पताल एक टैम्पो में लेकर गये थे। उन्हें टैम्पो में, जो छुड़ाने वाले गवाह हैं, करीब उन्होंने ही डाला था। उसे ध्यान नहीं है कि टैम्पो में खून लगा था या नहीं। उन्हें जहाँ से उठाकर टैम्पो में डाला था, उसके मध्य की दूरी एक–दो फुट थी। उस एक–दो फुट की दूरी में भी खून की धार बनी थी। उन्हें उठाकर टैम्पो में डालने वालों के हाथों व कपड़ों पर खून लगा था या नहीं, उसने नहीं देखा। घांघू अस्पताल में टैम्पो अन्दर चला गया था और वहाँ से उन्हें करीब 30 फुट अन्दर अस्पताल लेकर गये थे, जो अस्पताल के कर्मचारी लेकर गये थे। टैम्पो से अस्पताल में नीचे उतारने के दौरान नीचे जमीन पर खून की धार बनी या नहीं, उसने नहीं देखा। अस्पताल के कर्मचारियों के हाथों पर उन्हें स्ट्रेचर पर डालने के दौरान खून लगा होगा, फिर स्वयं कहा कि उन्होंने हाथों पर ग्लव्स पहन रखे थे। अस्पताल के स्ट्रेचर पर खून लगा होगा, फिर कहा कि खून लगा था। घांघू अस्पताल में उन्हें करीब 15–20 मिनट तक रखा था। इस दौरान डॉक्टरों ने उनकी पट्टियां बांधी थी और उन्हें रवाना कर दिया था। घटना के समय फरमान बेहोश हो गया था। उसने प्रदर्श डी–2 में यह लिखाया था कि फरमान बेहोश हो गया तब उसने बच्चाओ–बचाओं का रोला किया तब उनके मोहल्ले के शौकत पुत्र एवज खां, शौकत पुत्र उमर खां, इरफान पुत्र उमर खां, कासिफ पुत्र जब्बार खां भागकर आये थे, फिर स्वयं कहा कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी, तभी ये सभी वहाँ आ गये थे। उसने पुलिस को अपने बयानों के दौरान यह बताया था कि उनके साथ मारपीट होने के दौरान ही ये सभी छुड़ाने वाले वहाँ आ गये थे, पुलिस ने यह बात प्रदर्श डी–2 में क्यों नहीं लिखी, वह नहीं बता सकता। उसने इस कथन का खण्डन किया कि आज वह अपने बयानों में सुधार करते हुए बयान दे रहा है। टैम्पो चालक कौन था, वह नहीं बता सकता। घांघू अस्पताल से चूरू अस्पताल में उन्हें बोलेरो गाड़ी में लेकर आये थे, जिसके ड्राईवर का नाम उसे ध्यान नहीं। मस्जिद से उनके घर की दूरी लगभग 100 कदम है, फिर कहा कि 100–150 कदम की दूरी है। उन चारों भाइयों का एक ही जगह मकान है। उसने इस कथन का खण्डन किया कि शौकत खां पुत्र एवज के अलावा अन्य बचाने वाले उनके परिवार के हों। शौकत पुत्र उमर खां, इरफान खां पुत्र उमर खां, मृतक फरमान के भाई हैं तथा कासिम पुत्र जब्बार खां तीसरी पीढ़ी में परिवार का है। घटना स्थल डिजिटल स्टूडियो के पास का है। उसने स्वीकार किया कि स्टूडियो के सामने एक खल की दुकान व नाई की दुकान है तथा परचून की दुकान साईड में है। नक्शा मौका में मार्क 10 नम्बर से जो नोहरा दिखाया हुआ है, वह उसका नहीं है। घटना स्थल से गाँव का बस स्टैण्ड लगभग 50 कदम की दूरी पर है। उसे ध्यान नहीं है कि उक्त स्टूडियो, नाई की दुकान, परचून की दुकान, आईसक्रीम की दुकान वालों ने घटना देखी या नहीं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि जिन परिवार वालों को उसने गवाह बताया है, वे मौके पर उपस्थित नहीं थे और इस कारण उनके हाथों व कपड़ों पर खून नहीं लगा हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि उसने इन गवाहान को झूठा गवाह बनाया हो। उसने स्वीकार किया कि फरमान व आरिफ की गाँव के अन्य लोगों से रंजिश चल रही थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि गाँव के अन्य लोगों से रंजिश के कारण अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की हो और उन्होंने इन मुलजिमानों के नाम गलत लिखवाये हों।

(14) पी.डब्ल्यू. 6 ताराचंद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में पुलिस द्वारा उसके समक्ष मृतक फरमान की फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचायतनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–1 है।

(15) पी.डब्ल्यू. 7 उमर खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में पुलिस द्वारा उसके समक्ष मृतक फरमान की फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचायतनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–1 है, तथा पुलिस ने उसके समक्ष मजरूब युसुफ खां के खून से सने कपड़े जब्त कर सील–मोहर किए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–4 है, इसी प्रकार उसी दिन मजरूब आरिफ खां के खून से सने कपड़े भी जब्त कर सील–मोहर किए गए, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–5 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि युसुफ खां के कपड़े उसके सामने सदर चूरू थाना पर लिए थे। उन कपड़ों पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। कॉफी कलर की हल्की लाईनदार शर्ट थी, जिस पर खून के धब्बे थे। उक्त कपड़े दोपहर करीब 2 बजे दिए थे। कपड़े प्लास्टिक की थैली में लेकर आये थे, जो प्लास्टिक

की थैली उन्होंने पुलिसवालों को सौंप दी थी। आरिफ व युसुफ के कपड़े दिनांक 14.05.2023 को ही दिए थे, जो एक ही साथ दिए थे। आरिफ के कपड़े भी प्लास्टिक की थैली में ही थे, जो थैली पुलिस को दे दी थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–1, 4 व 5 पर उसने थाने पर खाली कागजों में हस्ताक्षर किए हों।

(16) पी.डब्ल्यू. 8 शौकत अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 05:00 से 05:30 बजे वह अपने गांव की मस्जिद में नमाज अदा कर बाहर निकला था, उस समय जाफर खां पुत्र फेजु खां, मकसूद पुत्र फेजु खां, फरमान पुत्र जाफर खां, खुशी मोहम्मद पुत्र आमीन खां एवं अरमान भी नमाज पढ़कर बाहर निकले थे, तभी वहां युसुफ, आरिफ एवं फरमान के साथ उक्त पांचों व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें मकसूद के पास लाठी तथा अन्य के पास सरिये थे, यह मारपीट मस्जिद के पास स्थित चक्की एवं किराने की दुकान के पास हुई, मारपीट में फरमान, युसुफ एवं आरिफ को गम्भीर चोटें आई और वे जमीन पर गिर गए, इसके बाद एक टैम्पो आया जिसमें उसने फरमान को बैठाया तथा अन्य दो को अन्य व्यक्तियों द्वारा टैम्पो में बैठाया गया और उन्हें पहले गांव के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से चूरू रेफर कर दिया गया, वह गांव के अस्पताल से अपने घर चला गया, फरमान को चूरू से जयपुर अस्पताल रेफर किया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई, उसने यह भी कहा कि बच्चों के जन्मदिन को लेकर आपसी रंजिश हो गई थी, बाद में मोहल्ले वालों ने राजीनामा करवा दिया था किन्तु उसी रंजिश के कारण यह मारपीट हुई, आगे उसने बताया कि पुलिस ने दिनांक 18.04.2023 को घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया, जो घटना के दो दिन बाद बनाया गया था, जो प्रदर्श पी–6 है, तथा उसी दिन मौके से सड़क पर पड़े खून के धब्बों वाली कंकरीट को छीनी–हथौड़े से खोदकर तथा पास से सादी कंकरीट लेकर अलग–अलग प्लास्टिक की थैलियों में डालकर सील किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–7 है।

(17) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी–7 द्वारा खून से सनी हुई कंकरीट जब पुलिस ने उठाई थी, उस वक्त 10–10.30 बजे का समय था। उसे पुलिस ने बुलवाया था। उसे लेने कौन आया था, उसे याद नहीं है। उसने हज कर ली है, जो वर्ष 1994 में ही कर ली थी। वह वर्ष 1994 से ही लगातार पाँच वक्त का नमाजी है। वह पाँचों नमाज में से कई बार घर पर ही नमाज पढ़ लेता है तथा ज्यादातर मस्जिद में ही नमाज पढ़ता है। उसने स्वीकार किया कि रमजान के महीने में मस्जिद में नमाजियों की तादाद काफी ज्यादा रहती है। उनकी मस्जिद में करीब 125–150 व्यक्तियों के नमाज पढ़ने की क्षमता है। उसने स्वीकार किया कि मगरिब और ईशा की नमाज के समय मस्जिद में नमाजियों की संख्या ज्यादा रहती है। घटना के समय मस्जिद में करीब 100 नमाजी नमाज पढ़ने आये हुए थे। असर की नमाज के समय मौलाना के नमाज पढ़ाने के बाद और कोई रकाब नहीं पढ़ाई जाती है, बाद में मगरिब की ही नमाज पढ़ाई जाती है। उसने स्वीकार किया कि असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज के बीच में करीब डेढ़ घण्टे का अन्तराल होता है। उसने स्वीकार किया कि असर की नमाज के बाद लगभग नमाजी बाहर आने लग जाते हैं, फिर स्वयं कहा कि कुछ लोग अन्दर इबादत करने के लिए भी रहते हैं। इबादत के लिए उस दिन 10–15 लोग मस्जिद में रह गये थे, बाकी सभी मस्जिद से बाहर आ गये थे। उस समय 70–80 आदमी मस्जिद से बाहर आ गये थे। वह हमेशा मौलाना के पीछे की जो सफ होती है, उसमें खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। उस दिन तीन सफ/लाईन नमाजियों की थी। उसने स्वीकार किया कि सबसे अन्तिम लाईन में नमाज के लिए जो व्यक्ति खड़ा होगा, वह सबसे पहले मस्जिद से बाहर निकलेगा, फिर स्वयं कहा कि उनमें से कुछ लोग मस्जिद में इबादत के लिए रह गये थे। उसने स्वीकार किया कि वह सबसे आगे वाली लाईन में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था, इस कारण मस्जिद से बाहर निकलने में उसका नम्बर सबसे अन्तिम में आया था। उसने स्वीकार किया कि उस दिन मकसूद खां पुत्र फेजू खां भी असर की नमाज के समय मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था, फिर स्वयं कहा कि खुशी मोहम्मद भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। उसने स्वीकार किया कि मकसूद व खुशी मोहम्मद भी पाँच वक्त के नमाजी हैं, जो ज्यादातर मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं, फिर स्वयं कहा कि ये दोनों भी पक्के नमाजी हैं। अरमान व फरमान मस्जिद के जो बड़े गेट से, जो बाडेट जाने वाले रास्ते पर है, उस गेट से आये थे, फिर स्वयं कहा कि युसुफ, फरमान व आरिफ भी नमाज अदा करके निकले थे। वह नहीं बता

सकता कि अरमान व फरमान मस्जिद में किस लाईन में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। जब उसने फरमान को टैम्पो में डाला था तब उसके हाथों व कपड़ों पर खून लगा था। उसने पुलिस को अपने खून लगे कपड़े नहीं दिए थे, फिर स्वयं कहा कि पुलिस ने उससे मांगे ही नहीं थे। टैम्पो किसका था, उसे पता नहीं। टैम्पो गांव का था या कहां का था, उसे पता नहीं। उसने स्वीकार किया कि इस घटना से पहले दोनों पक्षों में कोई नाराजगी नहीं थी, फिर स्वयं कहा कि बच्चे के जन्मदिन को लेकर हुई घटना से पहले दोनों पक्षों में कोई नाराजगी नहीं थी। जन्मदिन की बात को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उसका बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा करवा दिया था। उसने स्वीकार किया कि राजीनामा करवाने के बाद दोनों पक्षों में रंजिश खत्म हो गई थी। उसने स्वीकार किया कि युसुफ पुत्र चिन्ने खां उसका दोस्त है तथा उसके घर उसका आना–जाना है। युसुफ गौत्र से पहाड़ियान है। उसकी गौत्र मलवाण है। युसुफ से उसकी दोस्ती बचपन से ही है। मारपीट में घायल जब नीचे जमीन पर गिरे थे, तभी वह बाहर पहुँच गया था। वह जब बाहर पहुँचा तब उनके साथ मारपीट हो रही थी और वह वहाँ मौजूद था। वह घटना के समय ही बाहर आ गया था। चोटग्रस्त व्यक्ति उसके मस्जिद से निकलने के 2–4 मिनट पहले बाहर निकले थे। उसे ध्यान नहीं है कि आरिफ और युसुफ को जमीन से किसने उठाया। वह गांव के अस्पताल के अन्दर गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसके सामने कोई लिखापढ़ी नहीं की थी। गांव के अस्पताल में डॉक्टर ने घायलों की पट्टी वगैरह बांधी थी और बाद में उनको रैफर कर दिया था तथा उसके बाद वह अपने घर चला गया था। मकसूद के हाथ में जो लाठी थी, वह करीब 5–6 फुट की थी। लाठी गेडिया टाईप की थी, जो सीधी लाठी नहीं थी। गेडिये से उसका मतलब था कि लाठी का हैण्डल आगे से यू टाईप में मुड़ा हुआ था। मकसूद के अलावा लोगों के हाथ में लोहे के पाईप थे, जो सभी पाईप 4–5 फुट के थे। वह उन पाईपों की मोटाई नहीं बता सकता, क्योंकि उसने इंचीटेप से उन्हें मापा नहीं था। यदि वे पाईप पाँच इंच मोटे हों तो भी वह नहीं बता सकता। मस्जिद से मुलजिमानों का घर काफी दूरी पर है, फिर स्वयं कहा कि मकसूद का घर नजदीक ही है एवं जाफर और खुशी मोहम्मद का घर दूर है। चक्की व उसके पीछे जो नोहरा है, वह युसुफ खां पुत्र खुदा बक्स खां के हैं। युसुफ खां की चक्की के मुख्य दरवाजे से 5–7 कदम की दूरी पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के समय चक्की वाला वहाँ आया या नहीं, वह नहीं बता सकता लेकिन वहाँ गांव के काफी लोग आ गये थे। वह जब घटना स्थल पर पहुँचा तब वहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उसके पहुँचने से पहले घटना स्थल पर गांव के 30–40 आदमी मौजूद थे। उसने वहाँ पहुँचने के बाद उन 30–40 लोगों से घटना के बारे में नहीं पूछा, फिर स्वयं कहा कि उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर हस्ताक्षर उसने पुलिस में किए थे। उसे याद नहीं है कि वह पुलिस के पास किसके साथ आया था। उस दिन उसके अलावा प्रदर्श पी –6 पर शौकत खां पुत्र उमर खां ने भी हस्ताक्षर किए थे। शौकत खां भी उसके साथ आया था। उसने पुलिस को बता दिया था कि घटना चक्की के पास हुई थी, फिर स्वयं कहा कि पुलिस जब नक्शा मौका बनाने आयी थी तब उसने पुलिस को घटना के स्थान के बारे में बता दिया था। वह नहीं बता सकता कि पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में चक्की वाले स्थान का अंकन किया है या नहीं, फिर स्वयं कहा कि उसने पुलिस को बता दिया था। चक्की के आस–पास बाबू पुत्र युसुफ खां की, दीनदयाल की दुकान, युसुफ खां का नोहरा, एक मोती के बास के नाई की दुकान तथा पास में एक किराणे की दुकान है। घटना स्थल के सामने मस्जिद है तथा वहाँ एक छोटा सा चैक है और एक रास्ता दांदु जा रहा है। चैक करीब 20–30 फुट का है, जिसमें से एक रास्ता मोहल्ले के अन्दर जा रहा है और एक रास्ता दांदु व गांगीयासर गांव जा रहा है। मस्जिद वाली लाईन में रास्ता है तथा एक नाई की दुकान है और वह रास्ता मोहल्ले में जाता है। उसने कहा कि इस नाई की दुकान के अलावा घटना के समय वहाँ और कोई दुकान नहीं थी, फिर स्वयं कहा कि दुकानें थी लेकिन वे बंद थी। नाई की दुकान के पास करीब चार दुकानें थी। मृतक फरमान ने उस दिन क्या कपड़े पहन रखे थे, उसे आज याद नहीं। मृतक फरमान चोला–पायजामा नहीं पहनता है, उसने शायद जीन्स की पेंट व टी–शर्ट पहन रखी थी। आरिफ ने टी–शर्ट पहन रखी थी तथा युसुफ ने भी टी–शर्ट पहन रखी थी। वह इन तीनों के कपड़ों का रंग नहीं बता सकता। उसकी जानकारी में फरमान की गांव में किसी से रंजिश नहीं है। फरमान की अन्य किसी जगह रंजिश हो तो वह नहीं बता सकता। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह युसुफ खां का दोस्त होने के कारण मौके का झूठा गवाह बना हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि घटना के समय

उसके कपड़ों पर खून नहीं लगा हो और इसी कारण उसने अपने कपड़े पुलिस को नहीं दिए हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह मौके पर नहीं था और आज गलत बयानी कर रहा है।

(18) पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 5 बजे असर की नमाज पढ़कर वह मस्जिद से बाहर निकला था और उसके साथ उसका चाचा युसुफ तथा चाचा का पुत्र फरमान भी थे, मस्जिद से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही मकसूद, जाफर, खुशी, इमरान, इमदाद एवं इरफान वहां आए और सभी ने उन तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें इमरान ने उसके सिर पर पाइप से वार किया जिससे वह नीचे गिर गया, फरमान उसे उठाने के लिए आया तो खुशी ने उसके पीछे से चोट मारी, इसके बाद शौकत खां, शौकत खां, कासिम, इरफान, जाबिद एवं आसिफ ने आकर उन्हें छुड़ाया, मकसूद के हाथ में लाठी तथा अन्य के हाथों में लोहे के पाइप थे, उसे सिर सहित शरीर के अन्य स्थानों पर भी चोटें आई तथा फरमान एवं युसुफ के सिर पर भी चोटें लगीं, मारपीट के बाद उन्हें पहले घांघू अस्पताल, फिर भरतिया अस्पताल और वहां से जयपुर ले जाया गया, जहां उसे एवं फरमान को रेफर किया गया और फरमान की जयपुर में मृत्यु हो गई, उसने यह भी कहा कि बच्ची के जन्मदिन को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके कारण आरोपीगण उनसे रंजिश रखने लगे और उसी रंजिश के कारण यह मारपीट की, पुलिस द्वारा उसे घटना के समय पहने हुए कपड़े प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी–8 है तथा पुलिस द्वारा फर्द प्रदर्श पी–5 के माध्यम से खून से सने कपड़े, जिनमें एक खून से सनी शर्ट शामिल थी, जब्त कर सील–मोहर किए गए।

(19) **जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि उसके दादा का नाम दीने खां है। फरमान के दादा का नाम चिन्ने खां है। चिन्ने खां व दीने खां दोनों भाई हैं। मृतक फरमान उसके चाचा का बेटा, भाई लगता था। तासिम उसके गांव–मोहल्ले का भतीजा है, उसके परिवार का नहीं है। उसके पिता मनीर खां व भोलू खां दोनों भाई हैं। तासिम भोलू खां का पौता है। तासिम उसके ताऊ का बेटा भाई है। तासिम उसके ताऊ का बेटा है, जो उसका दूर का रिश्तेदार हुआ। मृतक फरमान उसके परिवार में भाई लगता था। फरमान उसके परिवार में नजदीक का भाई लगता था तथा तासिम दूर का भाई लगता है। उसने स्वीकार किया कि उसके दादाजी व जब्बार के दादाजी दीने खां थे। उसने इस कथन का खण्डन किया कि तासिम दीने खां का पौता हो। दीने खां का लड़का भोलू खां है। वह नमाज पढ़ता है। दिनांक 16.04.2023 को वह नमाज पढ़ने के लिए करीब 5 बजे मस्जिद में गया था। शाम को 5 बजे असर की नमाज पढ़ने गया था। वह आज भी पाँच टाइम का नमाजी है। वह मस्जिद में भी व बाहर भी सुविधानुसार नमाज पढ़ता है। उसने कहा कि आज उसने नमाज पढ़ी थी, जो मस्जिद में पढ़ी थी। आज उसने फजर में चार रकात पढ़ी थी। उसने दो सुन्नत पढ़ी थी और दो रकात पढ़ी थी। इशा की नमाज उसने कल रात को घर पर अदा की थी। इशा की नमाज में आठ रकात होती हैं। जोहर की नमाज में तीन रकात होती हैं। मगरिब की नमाज में 6 रकात होती हैं। असर की नमाज में 4 रकात होती हैं। यदि इशा की नमाज में 17 रकात होती हो तो उसे इतना ध्यान नहीं है। यदि मगरिब की नमाज में 7 रकात होती हो तो उसे पूरा ध्यान नहीं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह 6 रकात की बात झूठ बोल रहा हो। जोहर की नमाज में 12 रकात होती हों तो उसे पूरा ध्यान नहीं। असर की नमाज में 8 रकात होती हों तो उसे पूरा ध्यान नहीं। जुम्मे की नमाज में उसके अनुसार दो रकात होती हैं। जुम्मे की नमाज में 14 रकात होती हों तो उसे ध्यान नहीं है। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह नमाज पढ़ने नहीं जाता हो और इस कारण उसे नमाज की रकातों का ज्ञान नहीं हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह आज झूठ बोल रहा हो, फिर स्वयं कहा कि नमाज के बारे में उसे जितना ज्ञान था, उसने उतना बता दिया। उसे जयपुर अस्पताल से 7 दिन बाद छुट्टी दे दी थी। छुट्टी देने के बाद वह गांव आ गया था। अस्पताल से 7 दिन बाद छुट्टी मिलने के बाद गांव आने पर वह पुलिस थाने नहीं गया था। पुलिस घटना के 7–8 दिन बाद उसके पास आयी थी और उससे कहा था कि थाने बयान देने चलो तब उसने कहा था कि उसकी अभी बयान देने की हिम्मत नहीं है। जयपुर अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय वह पूरा ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद पुलिस लगभग पाँचवें महीने में आयी थी, जो 5 तारीख को आयी थी। उसने पुलिस को अपने गांव में कुछ नहीं बताया था और पुलिस को कहा था कि उसकी हिम्मत नहीं है। फिर वह 13 मई को थाने पर गया था तब उसने पुलिस को बयान दिए थे। उसने स्वीकार किया कि उसके पुलिस में

बयान घटना के एक महीने बाद हुए थे। उसने स्वीकार किया कि इस एक महीने की अवधि के दौरान पुलिस उसके पास बयान के लिए 5–6 बार आयी थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह इस अवधि में बेहोश रहा हो और इस कारण उसने बयान नहीं दिए हों, फिर स्वयं कहा कि वह बयान देने की हालत में नहीं था, इसलिए बयान नहीं दिए थे। 13 तारीख को जब वह बयान देने के लिए गया था तब उसके साथ कोई नहीं गया था और न ही उसे किसी ने बयान समझाये थे, वह अकेला सदर थाने गया था। उसके बयान के समय पुलिस वाला पैन से लिखा–पढ़ी कर रहा था। उसने पुलिस को बताया था कि वह इस एक महीने की अवधि के दौरान बयान देने की हालत में नहीं था, इसलिए वह बयान नहीं दे सका था। उसके बयान प्रदर्श डी–3 में यह बात क्यों नहीं लिखी हुई, वह नहीं बता सकता, उसने तो पुलिस को बता दिया था। उसने पुलिस को बयान प्रदर्श डी–3 में अपने बेहोश होने की बात लिखाई थी, फिर स्वयं कहा कि वह बेहोश बाद में हुआ था। उसे थोड़ी देर बाद मौके पर ही होश आ गया था। उसे मौके पर बेहोश होने के बाद होश चूरू अस्पताल में आया था। फरमान को भी जयपुर अस्पताल लेकर गये थे। फरमान की चूरू अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई थी, जयपुर के रास्ते में उसकी मृत्यु हुई थी। प्रदर्श डी–3 का हिस्सा ए से बी "जब मेरे................मृत्यु हो गई" सुनकर उसने कहा कि उसने पुलिस को लिखाया था। उसने फरमान की मृत्यु होने की बात चूरू अस्पताल में नहीं सुनी थी। जाफर खां के अरमान नाम का कोई लड़का नहीं है, फिर स्वयं कहा कि फरमान नाम का लड़का है। जाफर खां के कुल दो लड़के हैं। वह चेजे का कार्य करता है। उसने कहा कि उसने मुख्य परीक्षा में मारपीट करने वालों में इमदाद का नाम लिखाया है, जिसका नाम उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी–3 में नहीं लिखाया था, फिर स्वयं कहा कि आज उसने इमदाद का नाम नहीं लिया। उसके चोट लगने के 2–3 मिनट बाद वह बेहोश हुआ था, फिर उसे चूरू अस्पताल में होश आ गया था। उसके मौके पर बेहोश होने के बाद उसे चूरू अस्पताल में होश आने तक बीच में कहाँ ले गये, उसे पता नहीं, इस दौरान क्या–क्या बातें हुई तथा इस दौरान और क्या–क्या हुआ, यह उसे पता नहीं। उसके चोट लगने के 2–3 मिनट बाद उसके बेहोश होने वाली बात प्रदर्श डी–3 में क्यों नहीं लिखी हुई, वह नहीं बता सकता। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–3 में उसके चोट लगते ही बेहोश होने की बात पुलिस ने गलती से लिखी होगी, उसने नहीं लिखाया था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह आज अपने बयानों में सुधार करते हुए व कानूनी राय लेकर बयान दे रहा हो। उसने चूरू अस्पताल में डॉक्टर को चोट दिखाई थी, जो उसके साथ वालों ने दिखाई थी, फिर उसे वहाँ से जयपुर रैफर कर दिया था। चूरू में उसका मेडिकल मुआयना हुआ होगा, उसे पता नहीं। उसके शरीर पर जो चोटें आयी थी, वह उसने गिनी नहीं थी, जगह वह बता सकता है, जो सिर व उसके शरीर पर जगह–जगह थी। उसके चोट लगने के बाद पहले फरमान ने उसे उठाया था, जिसके उठाते वक्त फरमान को चोट लगी थी। उसे टैम्पो में किसने डाला, उसे पता नहीं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह आज गलत बयान दे रहा हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिमान के अलावा गांव में उसकी और भी काफी लोगों से नाराजगी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि उनके गांव के अन्य लोगों से रंजिश हो और अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की हो तथा पुरानी रंजिश के कारण मुलजिमान के खिलाफ यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

(20) पी.डब्ल्यू. 10 महेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 20.04.2023 को वह एफसी के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में तैनात था तथा उसी दिन समय 01:15 पीएम पर थानाधिकारी रजीराम द्वारा अभियुक्त इमरान खान पुत्र जाफर खान, उम्र 36 वर्ष, निवासी घांघू को फर्द प्रदर्श पी–9 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।

(21) पी.डब्ल्यू. 11 कृष्ण कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 21.04.2023 को वह पुलिस थाना सदर, चूरू में कांस्टेबल के पद पर तैनात था तथा उसी दिन शाम लगभग 05:30 बजे नोहरा मुलजिम इमरान खान, गांव घांघू में एसएचओ पुलिस थाना सदर रजीराम द्वारा एक लोहे का पाइप फर्द प्रदर्श पी–10 के माध्यम से जब्त किया गया तथा उक्त बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि बरामदगी स्थल नोहरा पर मुलजिम इमरान के पिता को बुलाकर उसका ताला खुलवाया गया था। बरामदगी की कार्यवाही में कुल कितना समय लगा था, उसे आज याद नहीं है। उसने स्वीकार किया कि बरामद पाईप पर खुली आंखों से कोई

खून दिखाई नहीं दे रहा था। बरामदगी स्थल नोहरे में उसने उस दिन इस पाईप के अलावा अन्य कोई पाईप नहीं देखा था। बरामदगी स्थल नोहरे में पट्टियां पड़ी हुई थी। बरामद पाईप एक मीटर लम्बा था। गाड़ी में मौजूद फीते से पाईप की लम्बाई का माप किया था।

(22) पी.डब्ल्यू. 12 धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 20.04.2023 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में तैनात था तथा उसी दिन थानाधिकारी रजीराम द्वारा अभियुक्त इमरान को फर्द प्रदर्श पी–9 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया, फर्द इत्तला मुलजिम इमरान प्रदर्श पी–12 है, जिसके इत्तला के अनुसार फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक लोहे का पाइप मुलजिम इमरान से फर्द जब्ती प्रदर्श पी–10 के माध्यम से जब्त किया गया तथा उक्त बरामदगी का नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया, इसके अतिरिक्त फर्द गिरफ्तारी व जमा तलाशी मुलजिम इरफान खान प्रदर्श पी–13 है तथा फर्द इत्तला मुलजिम इरफान अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–14 है, इसी प्रकार फर्द गिरफ्तारी व जमा तलाशी मुलजिम मकसूद खान प्रदर्श पी–15 है तथा फर्द इत्तला मुलजिम मकसूद खान अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–16 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी–9, प्रदर्श पी–10, प्रदर्श पी–11, प्रदर्श पी–12, प्रदर्श पी–13, प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15 एवं प्रदर्श पी–16 उसके द्वारा तैयार की गई है, फिर स्वयं कहा कि थानाधिकारी के निर्देशन में तैयार की थी। बरामद पाईप पर खून दिखाई दे रहा था या नहीं, उसे याद नहीं है। बरामद पाईप किस काम में लिये जाने वाला पाईप था, वह नहीं बता सकता। पाईप नया नहीं था। उसने स्वीकार किया कि ऐसा पाईप बाजार में उपलब्ध हो सकता है। नोहरा जो था, वह पशु बांधने वाला लग रहा था। उसने स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल पर गेट के कोई ताला नहीं लगा हुआ था। नोहरे में परिवार का कोई आदमी आता–जाता है या नहीं, उसे पता नहीं। उसने स्वीकार किया कि जो पट्टियों का डारा (छपरा) दिखाया हुआ है, उस पर कोई गेट नहीं लगा हुआ था तथा दरवाजा खुला था। छपरा में और क्या सामान पड़ा था, उसे आज याद नहीं है। इस बरामदगी स्थल नोहरे में परिवार के लोग आते–जाते थे या नहीं, उसे पता नहीं। उसने स्वीकार किया कि बरामदगी स्थल नोहरा सूना पड़ा था तथा उसमें कोई रिहायश नहीं थी। बरामदगी स्थल नोहरे पर वह कितनी बार गया था, वह आज नहीं बता सकता। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह पुलिसकर्मी होने से गलत बयान दे रहा है। वह बरामदगी से पहले इस प्रकरण के सम्बन्ध में गांव घांघू में नहीं गया था। वह इस प्रकरण में बरामदगी के समय गांव घांघू गया था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि मुलजिम इमरान से झूठी बरामदगी दिखाई हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इमरान ने साक्ष्य अधिनियम की इत्तला नहीं दी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि प्रदर्श पी–10 से प्रदर्श पी–16 पर मुलजिमों को डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इमरान के प्रदर्श पी–12 पर डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इरफान की इत्तला प्रदर्श पी–14 पर मुलजिम इरफान से डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इरफान ने लोहे के पाईप की बरामदगी बाबत साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इत्तला नहीं दी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम मकसूद खां के प्रदर्श पी–16 पर डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम मकसूद खां की इत्तला प्रदर्श पी–16 पर मुलजिम मकसूद खां से डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम मकसूद खां ने लाठी की बरामदगी बाबत साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इत्तला नहीं दी हो।

(23) पी.डब्ल्यू. 13 सरजीत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.05.2023 को वह पुलिस थाना सदर, चूरू में कांस्टेबल के पद पर तैनात था तथा उसी दिन मुकदमा संख्या 38/2023 में अभियुक्त इरफान खान के नोहरे से एक लोहे का पाइप फर्द प्रदर्श पी–17 के माध्यम से जब्त किया गया, जिसका नक्शा मौका प्रदर्श पी–18 है, इसी प्रकार उसी दिन मुलजिम मकसूद खान के मकान से एक लाठी फर्द प्रदर्श पी–19 के माध्यम से जब्त की गई, जिसका नक्शा मौका प्रदर्श पी–20 है, इसके अतिरिक्त दिनांक 03.05.2023 को मुलजिम इरफान खान द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दी गई, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–21 है तथा उसी दिन मुलजिम मकसूद खान द्वारा भी

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सूचना दी गई, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–22 है, साथ ही फर्द तस्दकी घटना स्थल मुलजिमान इरफान खान एवं मकसूद खान प्रदर्श पी–23 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि मुकदमे की एफआईआर दिनांक 16.04.2023 को दर्ज हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह थानाधिकारी के साथ मुलजिमान के घर एवं गांव में दबीश देने के लिए कई बार गया था। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 21.04.2023 को वह थानाधिकारी के साथ मुलजिम इरफान के नोहरे पर गया था। थानाधिकारी ने उस दिन नोहरे से एक लोहे का पाईप जब्त किया था। जिस पाईप के उस दिन बरामद होने की बात वह बता रहा है, उस दिन उस नोहरे में उसने और कोई पाईप पड़ा हुआ नहीं देखा था। उसने कहा कि वह बरामदगी स्थल पर सर्वप्रथम एक बार ही गया था, उसके बाद नहीं गया, फिर स्वयं कहा कि घटना स्थल तस्दीक के लिए दुबारा गया था। प्रदर्श पी–18 किसकी कलमी है, वह नहीं बता सकता। यदि प्रदर्श पी –18 धर्मेन्द्र कांस्टेबल की कलमी हो तो वह नहीं बता सकता। उसने स्वीकार किया कि बरामदगी के समय कोई स्वतन्त्र गवाह मौजूद नहीं था। थानाधिकारी ने गांव से बुलाया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया था, जिनका नाम वह नहीं बता सकता। थानाधिकारी ने उन गवाहान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी। उक्त गवाहान को बुलाने के लिए थानाधिकारी स्वयं गये थे। वह भी थानाधिकारी के साथ स्वतन्त्र गवाह लाने के लिए गया था। उसने स्वीकार किया कि उसके समक्ष जो फर्दात तैयार की गई थी, उन पर बतौर गवाह किसी प्राईवेट व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं। मकसूद खां के घर से काठ की लाठी बरामद हुई थी, जिसकी लम्बाई कितनी थी तथा वह लाठी कितने पोल की थी, वह आज नहीं बता सकता। मकसूद खां के घर में छपरा से बरामदगी हुई थी, जो किस मुखी था, वह नहीं बता सकता। नक्शा मौका प्रदर्श पी–20 में 1 नम्बर से दिखाये गये मकान में मकसूद खां की रिहाइश थी। टेणों का जो छपरा था, उसमें पशु बंधे हुए थे। उक्त छपरा में बरामदशुदा लाठी के अलावा और कितनी लाठियां पड़ी थी, वह आज नहीं बता सकता। उक्त नोहरा बरामदगी की कार्यवाही के समय खुला पड़ा हुआ था, उस पर कोई ताला लगा हुआ नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उस नोहरे पर ताला लगा हुआ नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता था। थानाधिकारी ने उक्त नोहरे के स्वामित्व के कागजात उसके सामने मंगवाये या नहीं, वह आज नहीं बता सकता। उसके सामने नोहरे के स्वामित्व बाबत थानाधिकारी ने किसी से पूछताछ नहीं की थी। लोहे का जो पाईप बरामद हुआ था, उसका नाप 61 सेंटीमीटर था। लोहे के पाईप का नाप थानाधिकारी ने इंचीटेप से किया था, जो इंचीटेप थानाधिकारी ने कहाँ से मंगवाया, वह नहीं बता सकता। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह बरामदगी स्थल व तस्दीक घटना स्थल के लिए साथ नहीं गया हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिमान इरफान व मकसूद खां ने उसके सामने कोई इत्तला नहीं दी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि फर्दात प्रदर्श पी–17, 18, 19, 20 व 23 पर उसने थानाधिकारी के कहने पर थाने में हस्ताक्षर किए हों।

(24) पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा है, उसके बाद इरफान तथा सबसे छोटा मृतक फरमान था, फरमान दांदू रोड पर मसाले की दुकान करता था, वर्ष 2021 में जन्मदिन की पार्टी को लेकर इरफान पुत्र जाफर खां, इमरान पुत्र जाफर खां, मकसूद पुत्र फेजू खां एवं जाफर पुत्र फेजू खां द्वारा उनके साथ विवाद किया गया था, जिसमें बाद में राजीनामा हो गया था किन्तु इसके बाद भी वे लोग उन्हें लगातार धमकियां देते रहे, दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 05:35 बजे वह अपने भाई फरमान की दुकान पर खड़ा था, तभी इरफान पुत्र जाफर खां, इमरान पुत्र जाफर खां, मकसूद पुत्र फेजू खां, जाफर पुत्र फेजू खां एवं खुशी पुत्र आमीन खां एक राय होकर वहां आए और उसके छोटे भाई फरमान, आरिफ एवं चाचा युसुफ पर हमला कर दिया, उस समय वह दुकान पर ही था और सभी हमलावर "मार दो–मार दो" कहकर चिल्ला रहे थे तथा उनके हाथों में पाइप एवं लाठी थी, इसके बाद वह स्वयं, उसका भाई इरफान, मोहल्ले का शौकत पुत्र एवज खां एवं तासीम पुत्र जब्बार खां उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे, मारपीट में फरमान, आरिफ एवं युसुफ को चोटें आई, जिनमें फरमान एवं आरिफ के सिर पर तथा युसुफ के सिर एवं कंधे पर चोटें आई, उसने यह भी कहा कि पांचों मुलजिमान का उद्देश्य उन्हें जान से मारना था, चोट लगने के बाद तीनों को घांघू अस्पताल ले जाया गया, जहां से चूरू रेफर किया गया और भरतिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, गम्भीर स्थिति

के कारण फरमान एवं आरिफ को बाद में जयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एस.एम.एस. अस्पताल में उसके छोटे भाई फरमान की मृत्यु हो गई, उसने आगे बताया कि पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तैयार किया गया तथा घटना स्थल से खून से सनी कंक्रीट एवं सादी कंक्रीट फर्द प्रदर्श पी–7 के माध्यम से जब्त की गई। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि मुलजिमान द्वारा उन्हें ऐलानिया धमकी देने की बात को लेकर उसके द्वारा सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उसने शिकायत किस अधिकारी को दर्ज करवाई थी, वह नाम नहीं बता सकता। शिकायत दर्ज करवाने की तारीख वह नहीं बता सकता, वर्ष 2021 में दर्ज करवाई थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई लिखित कार्यवाही नहीं की थी। जन्मदिन की बात को लेकर जो झगड़ा हुआ था, उसमें बाद में राजीनामा करवा दिया था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि राजीनामा होने के बाद उनका कोई विवाद शेष नहीं रहा हो, फिर स्वयं कहा कि वे उन्हें धमकी देते थे। सदर थाने द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करने के बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं की थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसने धमकी बाबत सदर थाने में कोई शिकायत नहीं दी हो। तासीम उसके दूर के परिवार में है। उसने स्वीकार किया कि तासीम के दादा भोलू खां के पिता दीने खां उसके पिता उमरदीन के चाचा लगते थे। युसुफ खां उसके चाचा हैं। आरिफ उसके ताऊ का बेटा, भाई लगता है। उसने स्वीकार किया कि तासीम के पिता जब्बार खां व उसका ताऊ का बेटा भाई आरिफ, दोनों उसके दादा के भाई दीने खां के पौते थे। उसने स्वीकार किया कि तासीम, आहत आरिफ खां का भतीजा लगता है, जो सगा भतीजा नहीं है। उसने स्वीकार किया कि तासीम, आरिफ खां के ताऊ भोलू खां का पौता है। उसने स्वीकार किया कि तासीम, आरिफ व उनका उमरदीन खां, जो उसके पिता के दादा हैं, के कुनबे से हैं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–6 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किए हों, फिर स्वयं कहा कि उसने मौके पर हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी–6 पर उसने देखकर हस्ताक्षर किए थे, पढ़कर हस्ताक्षर नहीं किए थे। प्रदर्श पी–6 में मणियारी की जो दुकान है, उसके पास उसके भाई फरमान की दुकान थी, जिसका अंकन नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में नहीं है। उसके भाई की दुकान की लाईन में मोहम्मद हुसैन की कुल चार दुकानें थी। शेष तीन दुकानों में से एक मणियारी की दुकान थी, जो गुलाम हुसैन ने किराये पर ले रखी थी, एक दुकान ताराचंद कुम्हार ने किराये पर ले रखी थी तथा एक दुकान खाली थी। प्रदर्श पी–6 नक्शा मौका में मार्क 11, 12 व 13 से अंकित दुकानें मोहम्मद हुसैन की हैं। उसने स्वीकार किया कि घटना स्थल के पास युसुफ खां का नोहरा था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि झगड़ा मोहम्मद हुसैन की दुकानों के आगे हुआ हो, फिर स्वयं कहा कि मस्जिद व युसुफ खां के नोहरे के पास हुआ था। उसने स्वीकार किया कि उससे पहले युसुफ खां मौके पर पहुँच गया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में 9 नम्बर से अंकित स्टूडियो दीनदयाल का था, जो अमीश फोटो स्टूडियो के नाम से था। जब वह छुड़ाने के लिए आया तब उसने युसुफ से यह नहीं पूछा था कि क्या हुआ था। फरमान, आरिफ व युसुफ को वह चार टायर वाले टैम्पो में डालकर अस्पताल लेकर गया था। उक्त टैम्पो किसका था, उसे पता नहीं। जब वे फरमान की लाश को जयपुर से लेकर आये थे, उसके बाद फरमान के कपड़े पुलिस को दिए थे। पुलिस को उसने फरमान के कपड़े सौंपे थे। उसने स्वीकार किया कि पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 में मुलजिमान द्वारा "मार दो–मार दो" बोलने वाली बात नहीं लिखी हुई है। उसने इस कथन का खण्डन किया कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था और इसी कारण उसके हाथों पर खून नहीं लगा हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह मौके पर मौजूद नहीं था और इसी कारण उसने मुकदमा दर्ज करवाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह मौके का झूठा गवाह बना हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मृतक फरमान उसका भाई होने के कारण वह आज गलत बयान दे रहा हो।

(25) पी.डब्ल्यू. 15 नवीन कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 22.04.2023 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में पदस्थापित था तथा उसी दिन मुकदमा संख्या 38/2023 में अनुसन्धान अधिकारी श्री रजीराम द्वारा मुलजिम इमरान खान की फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–24 तैयार की गई तथा फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम इमरान खान प्रदर्श पी–25 है, इसके अतिरिक्त फर्द इत्तला मुलजिम इरफान खान अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य

अधिनियम प्रदर्श पी–14 तथा फर्द इत्तला मुलजिम मकसूद खान अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी–16 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि फर्द इत्तला प्रदर्श पी –14, 15 व 24 मुलजिमानों की गिरफ्तारी के समय की है। उसने स्वीकार किया कि फर्द इत्तला प्रदर्श पी –14, 15 व 24 मुलजिमानों की गिरफ्तारी के समय की है। उसने इस कथन का खण्डन किया कि मुलजिमानों को गिरफ्तारी के समय डरा–धमकाकर फर्द प्रदर्श पी–14, 15 व 24 पर हस्ताक्षर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिमानों ने कोई इत्तला नहीं दी हो।

(26) पी.डब्ल्यू. 16 मनीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.05.2023 को वह एचसी के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में पदस्थापित था तथा उस दिन श्री देवी सिंह मालखाना इंचार्ज के अवकाश पर होने के कारण मालखाना का चार्ज उसके पास था, उसी दिन मुकदमा संख्या 38/2023 में थानाधिकारी रजीराम द्वारा दो सफेद कपड़े की सील्ड थैलियां, मार्क ई एवं एफ, जिनमें क्रमशः एक लोहे का पाइप एवं एक काठ की लाठी बरामद कर उसे सुपुर्द की गई, जिन्हें उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–26 के क्रमांक 248 में क्रम संख्या 6 एवं 7 पर जमा किया गया, उक्त प्रविष्टि प्रदर्श पी–26 ए के रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि है।

(27) पी.डब्ल्यू. 17 देवी सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को वह मालखाना इंचार्ज के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में पदस्थापित था, उस दिन एएसआई वीरेन्द्र सिंह द्वारा मुकदमा संख्या 38/2023 में मुर्दाघर एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर से विसरा जार तथा एक सफेद कपड़े की थैली मार्क ए, जिसमें मृतक के पारचात थे, उसे सुपुर्द किए गए, जिन्हें उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–26 के क्रमांक 248 में इन्द्राज किया गया, दिनांक 18.04.2023 को थानाधिकारी रजीराम द्वारा दो सफेद कपड़े की थैलियां मार्क बी व सी सील्ड अवस्था में उसे सुपुर्द की गई, जिन्हें मालखाना रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित रखा गया, दिनांक 21.04.2023 को एक सफेद कपड़े की सील्ड थैली मार्क डी, जिसमें अभियुक्त इमरान खान से बरामद लोहे का पाइप था, उसे सुपुर्द की गई, जिसे भी रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित रखा गया, दिनांक 14.05.2023 को एक सफेद कपड़े की सील्ड थैली मार्क जी, जिसमें मजरूब युसुफ के खून से सने कपड़े तथा एक सफेद कपड़े की सील्ड थैली मार्क एच, जिसमें मजरूब आरिफ के खून से सने कपड़े थे, सुपुर्द किए गए, जिन्हें भी रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित रखा गया, दिनांक 02.05.2023 को अवकाश पर जाने के कारण उसने मालखाना का चार्ज मनीराम को सुपुर्द किया तथा दिनांक 08.05.2023 को वापसी पर मनीराम द्वारा मार्क ई व एफ के सबूत उसे पुनः सुपुर्द किए गए, दिनांक 22.06.2023 को पुलिस अधीक्षक, चूरू से एफएसएल हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाकर सील्डशुदा विसरा जार एवं अन्य वजह सबूत मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच मय कागजात सन्दीप कुमार को एफएसएल बीकानेर एवं मेडिकल कॉलेज बीकानेर में जमा कराने हेतु सुपुर्द किए गए, जिसका अंकन प्रदर्श पी–26 में किया गया, दिनांक 24.06.2023 को सन्दीप कुमार द्वारा एफएसएल बीकानेर से प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई तथा एक सील्ड ग्लास बोतल वापिस सुपुर्द की गई, जिसका इन्द्राज रजिस्टर में किया गया, दिनांक 26.06.2023 को उक्त ग्लास बोतल को पुनः सन्दीप कुमार को एफएसएल बीकानेर में जमा कराने हेतु सुपुर्द किया गया तथा दिनांक 28.06.2023 को सन्दीप कुमार द्वारा एफएसएल जमा की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की गई, जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–26 में किया गया, तथा उसने यह भी कहा कि जब तक वजह सबूत उसके पास रहे, वे सील्डशुदा एवं सुरक्षित अवस्था में थे। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि मुलजिमान से बरामद लाठी व पाईप को एफएसएल के लिए भेजा या नहीं, उसे आज याद नहीं है। वजह सबूत पर बाहर पर्चियों पर जो लिखा हुआ था, उसी के आधार पर वह उनमें वजह सबूत होने का कथन कर रहा है। उसने सीलशुदा वजह सबूत को खोलकर नहीं देखा था।

(28) पी.डब्ल्यू. 18 सन्दीप कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 22.06.2023 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में पदस्थापित था, उस दिन मालखाना इंचार्ज देवी सिंह द्वारा उसे मुकदमा संख्या 38/2023 के सम्बन्ध में सील्डशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, चार विसरा जार एवं एक सील्डशुदा ग्लास बोतल मय कागजात सुपुर्द किए गए, जिन्हें वह

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चूरू से एफएसएल हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा कर आया तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त की, इसके बाद वह मेडिकल कॉलेज बीकानेर गया जहां ग्लास बोतल जमा कराने पर बताया गया कि उक्त वस्तु भी एफएसएल बीकानेर में ही जमा होगी, जिस पर वह ग्लास बोतल वापस लेकर दिनांक 24.06.2023 को चूरू पहुंचा और आवश्यक प्रविष्टि करवाकर मालखाना इंचार्ज को अग्रेषण पत्रों की प्रति एवं प्राप्ति रसीद सुपुर्द की , इसके पश्चात दिनांक 26.06.2023 को उसे पुनः एक सील्डशुदा ग्लास बोतल मय कागजात सुपुर्द की गई, जिसे वह पुनः एफएसएल बीकानेर में जमा कर आया तथा प्राप्ति रसीद लेकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की, उसने यह भी कहा कि जब तक उक्त वजह सबूत उसके पास रहे, वे सील्डशुदा एवं सुरक्षित अवस्था में रहे, तथा दिनांक 26.06.2023 के अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी–27 है जिसकी एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–28 है, दिनांक 22.06.2023 के अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी–29 है जिसकी एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–30 है तथा दिनांक 22.06.2023 के अन्य अग्रेषण पत्र की प्रति प्रदर्श पी–31 है जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–32 है।

(29) पी.डब्ल्यू. 19 सुनील कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 01.05.2023 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना सदर, चूरू में पदस्थापित था तथा उसी दिन मुकदमा संख्या 38/2023 में थानाधिकारी रजीराम द्वारा मुलजिम इरफान खान को फर्द प्रदर्श पी–13 के माध्यम से तथा मुलजिम मकसूद खान को फर्द प्रदर्श पी–15 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और दोनों मुलजिमान को थाने पर ही गिरफ्तार किया गया था।

(30) पी.डब्ल्यू. 20 राजेन्द्र कुमार बुरड़क ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 30.06.2023 को वह वृताधिकारी, चूरू के पद पर पदस्थापित था तथा उसी दिन मुकदमा संख्या 38/2023 पुलिस थाना सदर, चूरू का अनुसन्धान उसे प्राप्त हुआ, जिसके दौरान उसने पूर्व अनुसन्धान अधिकारी श्री रजीराम द्वारा की गई तफ्तीश की तस्दीक की तथा दौराने अनुसन्धान गवाह इरफान के बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए, उसके अनुसन्धान से मुलजिमान इरफान, इमरान एवं मकसूद के विरुद्ध धारा 302, 307, 323, 341, 34 एवं विकल्प रूप से धारा 323 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया जबकि आरोपिगण जाफर एवं खुशी उर्फ शमशेर के विरुद्ध अनुसन्धान धारा 173(8) सीआरपीसी के अन्तर्गत लम्बित रखा गया तथा बाद तफ्तीश पत्रावली आदेश हेतु पुलिस अधीक्षक, चूरू को प्रेषित की गई।

(31) पी.डब्ल्यू. 21 विरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को वह पुलिस थाना सदर, चूरू में एएसआई के पद पर तैनात था तथा उस दिन उसकी ड्यूटी डीओ के रूप में थी, शाम लगभग 06:45 बजे उसे राजकीय भरतिया अस्पताल, चूरू से सूचना प्राप्त हुई कि गांव घांघू में मारपीट की घटना में घायल व्यक्तियों को भर्ती कराया गया है, जिस पर वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और मजरूब युसुफ खां पुत्र चिने खां का पर्चा बयान लेखबद्ध किया , जो प्रदर्श पी–6 है, तत्पश्चात थाना पहुंचकर उक्त पर्चा बयान थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–33 दर्ज की गई, उसी रात सूचना प्राप्त हुई कि मजरूब फरमान खान की इलाज के दौरान एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में मृत्यु हो गई है, जिस पर वह दिनांक 17.04.2023 को एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर पहुंचा और मेडिकल बोर्ड से मृतक फरमान खान का पोस्टमार्टम करवाया, फर्द सूरत हाल लाश एवं पंचायतनामा प्रदर्श पी–1, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–2 तथा फर्द जब्ती खून से सने कपड़े प्रदर्श पी–3 तैयार किए गए, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर अन्य दस्तावेजों सहित थाना प्रस्तुत किए गए तथा वजह सबूत मालखाना में जमा कराए गए। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसे इमरजेंसी से सूचना सर्वप्रथम 06.45 पीएम पर प्राप्त हुई थी। डीबीएच, चूरू के इमरजेंसी वार्ड से उसे सूचना किसने दी थी, वह नाम नहीं बता सकता। वह डीओ ड्यूटी में बाहर गश्त पर था तथा उसके पास इमरजेंसी वार्ड से सूचना उसके मोबाइल पर आयी थी। उसने इस सूचना से उच्च अधिकारियों , थानाधिकारी व डिप्टी को अवगत करवाया था। उसने इस सूचना के आधार पर थाने में कोई रपट दर्ज नहीं करवाई थी। वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुँचा तब मजरूबान के परिवार के लोग वहाँ इकट्ठा

थे। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उस वक्त वहाँ मजरूब के परिवार की ओर से धरना–प्रदर्शन चल रहा हो। वह शाम को करीब 07.00 बजे अस्पताल पहुँचा था। इमरजेंसी वार्ड के अन्दर मजरूबान के परिवार के कोई लोग मौजूद नहीं थे। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–6 में उसकी कार्यवाही में फरमान व आरिफ के बारे में अंकन नहीं किया हो, फिर स्वयं कहा कि उनकी चोटों का भी अंकन किया है। उसने इमरजेंसी में मौजूद इलाज करने वाले डॉक्टरों को आरिफ व फरमान के मेडिकल मुआयने बाबत तहरीर दी थी। उसने स्वीकार किया कि आरिफ व फरमान के मेडिकल मुआयने बाबत उसके द्वारा दी गई तहरीर पत्रावली पर पेश नहीं है। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसके द्वारा मेडिकल मुआयने बाबत तहरीर नहीं दी गई हो और इस कारण उक्त तहरीर पत्रावली पर पेश नहीं हो। उसकी उपस्थिति में मजरूबान का मेडिकल मुआयना नहीं किया गया था। उसके द्वारा इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर को तहरीर दी गई थी, जो बाद में जरिए डाक मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास पहुँचने के बाद मेडिकल मुआयना किया गया था। उसके द्वारा मुआयना पहले इसलिए नहीं करवाया गया, क्योंकि उनकी गम्भीर चोटें थी और उनका पहले इलाज करवाना आवश्यक था। वह अस्पताल में केवल आधे घण्टे रुका था। उस वक्त ड्यूटी डॉक्टरों द्वारा मजरूबान का इलाज शुरू कर दिया गया था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसने युसुफ खां के परिवार के लोगों से सलाह–मशवरा करके पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 दर्ज किए हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि वह जयपुर एसएमएस अस्पताल नहीं गया हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि उसके द्वारा मजरूबान का मेडिकल मुआयना नहीं करवाना उसकी सेवा में लापरवाही रही हो।

(32) पी.डब्ल्यू. 22 कृष्ण कुमार गुगड़ ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 18.04.2023 को वह प्रभारी मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, चूरू के पद पर पदस्थापित था तथा उस दिन पुलिस थाना सदर, चूरू के थानाधिकारी से दूरभाष एवं लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर गांव घांघू स्थित घटना स्थल का अनुसन्धान अधिकारी श्री रजीराम एसआई एवं एसएचओ सदर चूरू की उपस्थिति में निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उसने राजकीय कैमरे से घटना स्थल के फोटोग्राफ लिए तथा घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 तैयार की, साथ ही उक्त रिपोर्ट का कवरिंग लेटर प्रदर्श पी–35 है, निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–36 एवं 37 हैं तथा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दिंया गया प्रमाण पत्र प्रदश पी–38 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि थानाधिकारी द्वारा दी गई तहरीर तथा उसके फॉरेंसिक यूनिट प्रभारी होने सम्बन्धी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं हैं। उसने फोटोग्राफ प्रदर्श पी–36 व 37 डिजिटल कैमरे से लिये थे तथा उनके प्रिंट राजेन्द्र डिजिटल फोटो स्टूडियो, चूरू से डवलप करवाये थे। उसने स्वीकार किया कि फोटोशॉप द्वारा फोटोग्राफ में परिवर्तन किया जा सकता है तथा फोटोग्राफ के सम्बन्ध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। उसने बताया कि अनुसन्धान अधिकारी ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया तथा रक्तयुक्त व सादा कंकरीट जब्त कर सील करने की कार्यवाही की थी। उसने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार किए गए कच्चे नोट्स के आधार पर बनाई गई थी किन्तु कच्चे नोट्स एवं डायरी पत्रावली पर पेश नहीं हैं। उसने स्वीकार किया कि निरीक्षण हेतु विभागीय रिकॉर्ड रखा जाता है, परन्तु वह पत्रावली पर पेश नहीं है। उसने कहा कि वह निरीक्षण के लिए सीधे घटना स्थल गया था तथा लगभग 09:45 बजे मौके पर पहुँचा था। उसके पहुँचने पर घटना स्थल पर खून के धब्बे मौजूद थे तथा वाहन एवं लोगों का आवागमन हो रहा था। उसने बताया कि उसने मौके से फिंगरप्रिंट एवं मोल्ड नहीं लिये, क्योंकि यह कार्य एमओबी टीम द्वारा किया जाता है। उसने इस सुझाव का खण्डन किया कि उसने कोई झूठा निरीक्षण किया हो अथवा पुलिस के कहने पर गलत बयान दे रहा हो।

(33) पी.डब्ल्यू. 23 डॉ. प्रियंका शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 17.04.2023 को वह मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में पदस्थापित थी तथा उस दिन समय 10:45 एएम पर पुलिस अधीक्षक, चूरू के प्रार्थना पत्र पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा, जिसमें डॉ. नवीन सिमटवाल भी सदस्य थे, मृतक फरमान खान पुत्र उमर खान, उम्र 25 वर्ष, निवासी घांघू, थाना सदर, जिला चूरू के शव का पोस्टमार्टम किया गया, मृतक को 16.04.2023 को रात्रि 11:30 बजे एस.एम.एस. अस्पताल लाया गया था और 11:37 बजे मृत घोषित

किया गया, इससे पूर्व उसे जिला अस्पताल चूरू में उपचार देकर जयपुर रेफर किया गया था, शव परीक्षण के दौरान सिर के मध्य पेराइटल भाग पर 4 सेमी लंबा कुचला हुआ घाव पाया गया, जिसके नीचे सिर की हड्डी के अनेक टुकड़े होकर कम्यूनिटेड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था तथा उससे अनेक रेखानुमा फ्रैक्चर दोनों पेराइटल एवं ऑक्सिपिटल भाग तक फैले हुए थे, मस्तिष्क के विभिन्न भागों में गम्भीर चोटें एवं रक्तस्राव पाया गया, उक्त चोटें ताजा, मृत्यु पूर्व की तथा कुन्द हथियार से कारित थी, अन्य कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई, एफएसएल परीक्षण हेतु अंगों के सैम्पल एवं रक्त का नमूना सुरक्षित किया गया, मेडिकल बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण सिर की गम्भीर चोट से उत्पन्न कोमा था, जो साधारण प्रकृति के क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–39 है तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–40, 41 एवं 42 हैं, जिनमें प्रदर्श पी–40 के अनुसार मृतक के नमूने में बी ग्रुप का मानव रक्त पाया गया। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्श पी –39 पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके स्वयं द्वारा टाईप की गई थी। उसने स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति के कोमा में जाने के कई कारण हो सकते हैं, परन्तु इस केस में कोमा में जाने का कारण सिर की चोट थी। उसने स्वीकार किया कि मृतक फरमान के सिर की एक चोट के अलावा शरीर व सिर पर और कोई चोटें नहीं पायी गई थी। उसने स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम के समय जिस हथियार से चोट पहुँचाई गई थी, वह पुलिस द्वारा उसे नहीं दिखाया गया। मृतक के सिर की चोट पर टांके कहाँ से लगाये गये थे, वह नहीं बता सकती। मृतक फरमान जिला अस्पताल, चूरू से रैफर होकर आया था, जिसका अंकन प्रदर्श पी–39 में किया गया है।

(34) पी.डब्ल्यू. 24 डॉ. जमशीद बानो ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को वह सीएचसी घांघू, जिला चूरू में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित थी तथा उस दिन समय 05:30 पीएम पर एसएचओ पुलिस थाना सदर, चूरू के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब आरिफ पुत्र मनीर खां, उम्र 35 वर्ष, निवासी घांघू, तहसील व जिला चूरू का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसमें उसके शरीर पर पेराइटल क्षेत्र के बाई ओर 5×1 सेमी का लेसरेशन घाव पाया गया, जो कुन्द वस्तु से कारित था तथा चोट की प्रकृति के निर्धारण हेतु सीटी स्कैन की राय दी गई, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–43 है, इसके पश्चात दिनांक 13.05.2023 को थानाधिकारी द्वारा उक्त चोट के सम्बन्ध में राय मांगी गई, जो पत्र प्रदर्श पी–44 है, जिसके साथ संलग्न बेडहेड टिकट एवं एस.एम.एस. अस्पताल की सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर मजरूब के सिर में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज पाया गया, जिसके आधार पर उक्त चोट को ग्रेवियस प्रकृति की माना गया। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसकी राय के आधार पर मजरूब का सीटी स्कैन नहीं किया गया हो, फिर स्वयं कहा कि उसने प्रदर्श पी–43 द्वारा सीटी स्कैन के लिए एडवाईज कर दिया था। सीटी स्कैन की रिपोर्ट बनाकर रेडियोलॉजिस्ट ने उसके पास भेजी थी, जिस रेडियोलॉजिस्ट का नाम पुरानी बात होने से उसे आज याद नहीं, फिर स्वयं कहा कि रिपोर्ट में नाम लिखा हुआ होगा। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई आदमी छोटी चौखट के नीचे सिर के बल उठे तो उक्त चोट के आने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(35) पी.डब्ल्यू. 25 डॉ. आशीष तिवाड़ी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 28.04.2023 को वह राजकीय भरतिया चिकित्सालय, चूरू में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर तैनात था तथा उस दिन पुलिस थाना सदर, चूरू के पत्र प्रदर्श पी–45 पर मजरूब युसुफ पुत्र चिने खां, उम्र 55 वर्ष, निवासी घांघू का समय 10:50 एएम पर चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसमें उसके शरीर पर दाहिने पैराइटल भाग में 7×1.5 सेमी का टांका लगा कुचला घाव, दाहिने कंधे पर 4×0.5 सेमी का ठीक हुआ खरोंच का निशान तथा दाहिने पैर में दर्द पाया गया, चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट संख्या 1 एवं 3 के सम्बन्ध में एक्स–रे की राय ली गई, सभी चोटें कुन्द वस्तु से कारित थी और एक्स–रे के पश्चात सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई, जिसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–46 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने स्वीकार किया कि चोट संख्या 3 जाहिरा में दिखाई नहीं दे रही थी। मजरूब पहले से इलाजशुदा था, जिसका इलाज पहले कहाँ हुआ, उसे पता नहीं। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई

व्यक्ति दाहिनी तरफ कठोर धरातल पर गिरे तो उपरोक्त चोटों के आने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(36) पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को वह पुलिस थाना सदर, चूरू में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, उस दिन एएसआई विरेन्द्र सिंह द्वारा मजरूब युसुफ खां का पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर कार्यवाही कर एफआईआर प्रदर्श पी–33 दर्ज की गई, प्रारंभिक अनुसन्धान विरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया तथा मजरूब फरमान की मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई गई और फर्द सूरत हाल लाश प्रदर्श पी–1, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–2, खून आलूदा कपड़ों की जब्ती प्रदर्श पी–3 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत की गई, इसके पश्चात धारा 302 भा.द.सं. जोड़े जाने पर अनुसन्धान उसके द्वारा किया गया, उसने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 एवं हालात मौका प्रदर्श पी–6ए तैयार किया तथा गवाहों के बयान लेखबद्ध किए, एफएसएल टीम से निरीक्षण करवाकर खून आलूदा व सादा कंक्रीट फर्द प्रदर्श पी–7 से जब्त की, अभियुक्त इमरान को फर्द प्रदर्श पी–9 से गिरफ्तार कर उसकी सूचना प्रदर्श पी–12 के आधार पर लोहे का पाइप प्रदर्श पी–10 से बरामद किया तथा उसका नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 तैयार किया, इसी प्रकार अभियुक्त इरफान को प्रदर्श पी–13 से गिरफ्तार कर उसकी सूचना प्रदर्श पी–14 पर लोहे का पाइप प्रदर्श पी–17 से बरामद किया तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–18 तैयार किया, अभियुक्त मकसूद को प्रदर्श पी–15 से गिरफ्तार कर उसकी सूचना प्रदर्श पी–16 के आधार पर काठ की लाठी प्रदर्श पी–19 से बरामद की तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–20 तैयार किया, मुलजिमान द्वारा दी गई सूचनाएं प्रदर्श पी–21, पी–22, पी–24 एवं तस्दीक स्थल प्रदर्श पी–23 व पी–25 तैयार किए गए। इस गवाह ने मोबाईल फोरेंसिक युनिट की रिपोर्ट, मजरूबान युसुफ, आरिफ व मृतक फरमान की बेड हेट टिकट, मजरूब युसुफ खाँ का चोट प्रतिवेदन, मजरूब आरिफ व फरमान की बेड हेट टिकट एसएमएस जयपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना बताया है। मजरूब युसुफ एवं आरिफ के खून आलूदा कपड़े प्रदर्श पी–4 व पी–5 जब्त किए गए, आरिफ की चोट के सम्बन्ध में चिकित्सीय राय प्रदर्श पी–44 प्राप्त की गई, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–40, 41, 42 व 47 प्राप्त कर पत्रावली में सम्मिलित की गई, सभी वजह सबूत मालखाना में जमा कराए गए, न्यायालय में प्रस्तुत आठ सील्ड पैकेटों में मृतक, मजरूबों के कपड़े, कंक्रीट नमूने, लोहे के पाइप एवं काठ की लाठी सम्मिलित थे, तत्पश्चात दिनांक 28.06.2023 को पत्रावली अग्रिम अनुसन्धान हेतु वृताधिकारी को प्रेषित की गई तथा उसके अनुसन्धान से अभियुक्त इमरान, इरफान, मकसूद, जाफर एवं खुशी उर्फ शमशेर के विरुद्ध धारा 302, 307, 323, 341, 143 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया, बाद में वृताधिकारी द्वारा अनुसन्धान पूर्ण कर पत्रावली वापस भेजे जाने पर अभियुक्त इमरान, इरफान एवं मकसूद के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया तथा जाफर व खुशी उर्फ शमशेर के विरुद्ध अनुसन्धान धारा 173(8) सीआरपीसी के अन्तर्गत लम्बित रखा गया।

(37) जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने स्वीकार किया कि आर्टिकल 9, 10 व 11 जैसा सामान सामान्यतः घरों में मिल जाता है। उसने स्वीकार किया कि युसुफ के पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 में उसने अपने साथ अपने परिवार के आरिफ व फरमान का नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ जाना बताया है। उसने स्वीकार किया कि युसुफ के पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 में युसुफ ने गवाहान इरफान व शौकत अली का मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए साथ जाने का कथन नहीं किया है। वह नहीं बता सकता कि युसुफ के पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 में अंकित गवाहान मृतक के परिवार के सदस्य हों। उसके अनुसन्धान में आया था कि वारदात के समय रमजान का महीना था। उसने स्वीकार किया कि रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज के समय भीड़ काफी बढ़ जाती है। उसने स्वीकार किया कि मृतक के परिवार के सदस्यों के अलावा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अन्य व्यक्तियों के उसके द्वारा बयान नहीं लिये गये, फिर स्वयं कहा कि क्योंकि वे बयान देने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी मजबूरी बताई थी। जिन–जिन लोगों ने बयान देने से मना किया था, उसने उनके नाम लेखबद्ध नहीं किए थे। उसने स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 में मार्क 4 से लेकर 11 तक दिखाई गई दुकान वालों के उसके द्वारा बयान नहीं लिये गये। फॉरेंसिक यूनिट जांच हेतु दिनांक 18.04.2023 को ही मौके पर

पहुँची थी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि गवाह इरफान के बयान प्रदर्श डी–1 का भाग ए से बी व सी से डी उसने अपनी मर्जी से लेखबद्ध किए हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि गवाह युसुफ के बयान प्रदर्श डी–2, आरिफ के बयान प्रदर्श डी–3 तथा शौकत अली के बयान प्रदर्श डी–4 उसने अपनी मर्जी से लेखबद्ध किए हों। उसने इस कथन का खण्डन किया कि मुलजिम इमरान ने लोहे के पाईप की बरामदगी की कोई इत्तला नहीं दी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि प्रदर्श पी–12 फर्द इत्तला पर उसने मुलजिम इमरान के हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हों। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–10 बरामदगी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई पट्टा या रजिस्ट्री उसके द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। उसने स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 बरामदगी स्थल गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित है। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–11 नक्शा मौका में दर्शित बरामदगी स्थल पशुओं के लिए काम में आने वाला स्थल है। उसने स्वीकार किया कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 उसकी कलमी में नहीं है। प्रदर्श पी–11 की कार्यवाही के समय आस–पास से कोई नहीं आया था, फिर स्वयं कहा कि पुलिस टीम को देखकर कोई मौके पर नहीं आया था। प्रदर्श पी–11 नक्शा मौका की कार्यवाही के समय गांव के सरपंच, अस्पताल के किसी कर्मचारी अथवा ग्राम पंचायत के किसी कर्मचारी को नोटिस देकर उसके द्वारा मौके पर नहीं बुलाया गया था, फिर स्वयं कहा कि मौखिक बुलाया था लेकिन कोई आया नहीं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–10 व 11 पर मुलजिम इमरान के हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हों। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इमरान ने लोहे के पाईप की बरामदगी नहीं करवाई हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि मुलजिम इरफान ने पाईप की बरामदगी बाबत प्रदर्श पी–14 इत्तला नहीं दी हो तथा इस फर्द पर मुलजिम के हस्ताक्षर डरा–धमकाकर करवाये हों। प्रदर्श पी–17 बरामदगी की कार्यवाही के लिए वह दिनांक 02.05.2023 को मौके पर गया था। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–17 बरामदगी में जो लोहे का पाईप दीवार के पास खड़ा था, वह मिट्टी या चारे में दबा हुआ नहीं था, फिर स्वयं कहा कि उस वक्त वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–10 व 17 की बरामदगी एक ही कमरे की है। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–17 व प्रदर्श पी–10 बरामदगी स्थल कमरे में बकरियों का चारा भी पड़ा था। उसने इस कथन का खण्डन किया कि मुलजिम मकसूद खां ने काठ की लाठी की कोई इत्तला नहीं दी हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि प्रदर्श पी–16, 19 व 20 पर मुलजिम मकसूद खां के डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये गये हों। उसने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–20 नक्शा मौका बरामदगी मकसूद खां स्थल नोहरे के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। उसने स्वीकार किया कि बरामद लोहे का पाईप, सरिया व लाठी सामान्यतः घरों में मिल सकते हैं। उसने इस कथन का खण्डन किया कि प्रदर्श पी–21, 22, 23, 24 व 25 पर मुलजिमान के डरा–धमकाकर हस्ताक्षर करवाये हों। घटना बाबत सर्वप्रथम उसके पास सूचना कितने बजे आयी थी, वह आज निश्चित समय नहीं बता सकता। सूचना लड़ाई–झगड़े की आयी थी, जिसकी रपट दर्ज की थी या नहीं, वह आज नहीं बता सकता। उसने स्वीकार किया कि उसके अनुसन्धान में किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया था कि किस–किस मुलजिम ने किस–किस मजरूब व मृतक के कहाँ–कहाँ चोटें मारी। उसने इस कथन का खण्डन किया कि उसने मुलजिमान को अपराध से जोड़ने के लिए उनसे झूठी बरामदगी दिखाई हो। उसने इस कथन का भी खण्डन किया कि घटना स्थल तस्दीक उसने थाने में बैठकर गलत रूप से तैयार की हो। उसके अनुसन्धान में यह आया था कि दोनों पक्षों में पहले रंजिश थी और बाद में दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा हो गया था। उसने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बाद उनमें आपस में रंजिश होने की बात उसके सामने नहीं आयी थी।

(38) पी.डब्ल्यू. 27 डॉ. सोमवीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.04.2023 को वह राजकीय भरतिया चिकित्सालय, चूरू में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थापित था तथा उस दिन उसकी इमरजेंसी ड्यूटी थी, दौराने ड्यूटी उसके द्वारा मरीज फरमान का प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके सिर में चोट थी तथा उसका रोगी उपचार पत्र प्रदर्श पी–57 एवं इंडोर टिकट प्रदर्श पी–58 है, इसी प्रकार उसी दिन मरीज आरिफ का भी इमरजेंसी में उसके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके सिर में चोट थी तथा उसका रोगी उपचार पत्र प्रदर्श पी–59 है। जिरह में इस गवाह ने कहा है

कि मजरूब फरमान व आरिफ की चोट की गम्भीरता के बारे में वह नहीं बता सकता। उसने मजरूब फरमान के सिर की चोट बाबत सीटी स्कैन की राय दी थी। मजरूब फरमान की सीटी स्कैन रिपोर्ट उसके पास नहीं आयी। प्रदर्श पी–58 में उसके द्वारा मजरूब को दो इंजेक्शन देने बाबत लिखा गया है। प्रदर्श पी–59 के अनुसार मरीज को एक टीटी का इंजेक्शन व एक दर्द के इंजेक्शन की राय दी गई है। प्रदर्श पी–59 के अनुसार चोटों बाबत सीटी स्कैन व सर्जन से इलाज की राय दी थी, जो सीटी स्कैन रिपोर्ट व सर्जन की रिपोर्ट उसके पास नहीं आयी।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक</u>

(39) बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा अपनी मौखिक बहस में लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है क्योंकि अभियोजन के प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल गवाह पी.डब्ल्यू. 1 इरफान, पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ, पी.डब्ल्यू. 8 शौकत अली, पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ तथा पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली के न्यायालयीन कथनों में घटना के समय, घटनास्थल, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका, किस अभियुक्त के हाथ में कौन–सा हथियार था, किस अभियुक्त ने किस व्यक्ति को किस स्थान पर चोट पहुंचाई तथा मारपीट के क्रम के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। कई गवाह लोहे के पाइप का उल्लेख करते हैं तो कुछ सरिया बताते हैं तथा कुछ गवाह विशिष्ट अभियुक्तों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से नहीं बताते। इस प्रकार अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों में पर्याप्त सामंजस्य नहीं होने से उनकी विश्वसनीयता सन्दिग्ध हो जाती है। अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन के सभी प्रत्यक्षदर्शी मृतक अथवा घायल पक्ष के निकट सम्बन्धी एवं हितबद्ध गवाह हैं। घटना सार्वजनिक मार्ग पर, मस्जिद के बाहर, दुकानों एवं बस स्टैण्ड के समीप होना बताया गया है तथा स्वयं अभियोजन के गवाहों ने रमजान माह होने के कारण बड़ी संख्या में नमाजियों की उपस्थिति स्वीकार की है, फिर भी विवेचक द्वारा किसी स्वतन्त्र दुकानदार, मौलवी, अन्य नमाजी, टैम्पो चालक, बोलेरो चालक अथवा आसपास उपस्थित किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को न तो अनुसन्धान में शामिल किया गया और न ही न्यायालय में परीक्षित कराया गया। इससे अभियोजन की कहानी पर सन्देह उत्पन्न होता है तथा अनुसन्धान की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगता है।

(40) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी के अनुसार दोनों पक्ष घटना से ठीक पूर्व एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तथा कुछ गवाहों ने अभियुक्त मकसूद एवं अन्य अभियुक्तों के भी नियमित रूप से मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात स्वीकार की है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा पूर्व नियोजित रूप से हथियारों सहित घात लगाकर हमला करने की कहानी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती। यदि अभियुक्त नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे तो उनके द्वारा पूर्व से हथियार लेकर मस्जिद में जाना सामान्य मानवीय व्यवहार के विपरीत है। इस आधार पर यह भी तर्क दिया गया कि घटना यदि हुई भी हो तो वह अचानक उत्पन्न विवाद का परिणाम हो सकती है। बचाव पक्ष ने अनुसन्धान में अनेक गम्भीर कमियों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। यह तर्क दिया गया कि विवेचक ने घटनास्थल के आसपास स्थित दुकानदारों, स्वतन्त्र व्यक्तियों एवं अन्य नमाजियों के बयान नहीं लिए, जिन व्यक्तियों ने कथित रूप से बयान देने से इंकार किया उनके नाम तक अंकित नहीं किए, टैम्पो एवं बोलेरो वाहन का निरीक्षण नहीं कराया तथा न ही उन वाहनों के चालकों को गवाह बनाया। इसी प्रकार प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान भी काफी विलम्ब से दर्ज किए गए जबकि वे पुलिस की उपलब्धता में थे। इस विलम्ब का अभियोजन द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बरामदगी के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तों से कथित रूप से बरामद लोहे के पाइप एवं लाठी सामान्य उपयोग की वस्तुएँ हैं, जिनकी बरामदगी खुले नोहरे अथवा ऐसे स्थानों से दिखाई गई है जहाँ किसी भी व्यक्ति का आना–जाना सम्भव था। बरामदगी के समय कोई स्वतन्त्र गवाह उपस्थित नहीं था तथा बरामदगी स्थल के स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा एक ही स्थान से अलग–अलग

तिथियों में हथियार बरामद करना तथा पूर्व निरीक्षण में अन्य हथियारों का उल्लेख न होना भी बरामदगी को सन्दिग्ध बनाता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि न्यायालय में प्रस्तुत हथियारों एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा वर्णित हथियारों में भी पर्याप्त अन्तर है, जिससे बरामदगी की सत्यता पर सन्देह उत्पन्न होता है।

(41) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के सम्बन्ध में यह तर्क दिया है कि मृतक फरमान के शरीर पर केवल एक घातक सिर की चोट पाई गई जबकि प्रत्यक्षदर्शी अनेक अभियुक्तों द्वारा सामूहिक रूप से लगातार मारपीट किए जाने का कथन करते हैं। घायल युसुफ का चिकित्सीय परीक्षण घटना के लगभग बारह दिन पश्चात किया गया, जिससे उसकी चोटों का घटना से सम्बन्ध सन्दिग्ध हो जाता है। घायल आरिफ के सम्बन्ध में रेडियोलॉजिस्ट एवं सीटी स्कैन रिपोर्ट को विधिवत सिद्ध नहीं किया गया तथा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया गया कि रेडियोलॉजिस्ट की साक्ष्य के अभाव में चोट को गम्भीर नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार कथित बरामद हथियारों पर मानव रक्त नहीं पाया गया, जिससे अभियोजन की बरामदगी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य भी सन्देहास्पद हो जाते हैं। अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के अनेक गवाहों ने न्यायालय में ऐसे तथ्य जोड़े हैं जिनका उल्लेख उनके पुलिस बयानों में नहीं है, जिससे उनके न्यायालयीन कथन सुधार (Improvement) की श्रेणी में आते हैं। साथ ही, अभियोजन के विभिन्न गवाहों द्वारा घटना के समय, घटनास्थल, हमलावरों की संख्या, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका, हथियारों के प्रकार तथा चोटों के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी कथन किए गए हैं, जिससे अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी सन्देहास्पद हो जाती है। उक्त समस्त आधारों पर अभियुक्तगण की ओर से यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष मौखिक, चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अनुसन्धान में गम्भीर कमियाँ, स्वतन्त्र साक्षियों का अभाव, हितबद्ध गवाहों के परस्पर विरोधी कथन, सन्दिग्ध बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गएः–

1. S.B. cri.revision Petition 375/2025 Ishtiyaq Ahamed v/s state of rajasthan Anr. Rajasthan hight court jodhpur.
2. 1994 SCC SUPL. (2) 289 JT 1994(4) 62 Maniram vs state of U.P on 13 May, 1994
3. AIR 2008 SC 533 Kapildeo Mandal and Ors vs state of bihar
4. 2013 AIR SCW 2278 Sunil kandu and Anr vs state of Jharkhand
5. Criminal Appeal NO. 1786/2023 Naresh @ Nehru vs the state of hariyana on 9 Oct, 2023
6. 1990(1) WLN 139 Ghasi And Anr. Vs state of rajasthan
7. 2015 AIR SCW 3248 Criminal Appeal No. 181/2013 Golbar Hussain And Ors vs state of Assam And Anr on 28 april, 2015 (Supreme court)
8. Criminal Appeal No. 1535–1538/2004 Balbir vs Vazir And Other on 1 july, 2014 (Supreme court)
9. AIR 2004 SC 1080 State of rajasthan vs Taran Singh and Anr.
10. Criminal Appeal NO. 832/2002 State Rep. By Inspector of Police vs Saravanan and Anr on 14 October, 2008 (Supreme court)

(42) इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अभियोजन ने उपलब्ध मौखिक, चिकित्सीय, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है क्योंकि अभियोजन के प्रमुख गवाह पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ एवं पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ स्वयं घायल प्रत्यक्षदर्शी हैं तथा पी.डब्ल्यू. 1

इरफान, पी.डब्ल्यू. 8 शौकत अली एवं पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है। घायल गवाहों की साक्ष्य का विशेष महत्व होता है तथा केवल इस आधार पर कि वे मृतक अथवा घायल पक्ष के सम्बन्धी हैं, उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन के सभी प्रमुख गवाहों ने घटना की मूल प्रकृति, अभियुक्तगण की उपस्थिति, उनके द्वारा एक साथ हमला करना, मृतक फरमान एवं घायल आरिफ के सिर पर लोहे के पाइप से वार करना तथा अभियुक्त मकसूद के हाथ में लाठी होना जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक समान एवं सुसंगत कथन किया है। गवाहों के कथनों में यदि हथियार के प्रकार, चोटों के क्रम अथवा अन्य गौण तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य अथवा स्वाभाविक विरोधाभास हैं तो वे घटना के लगभग दो वर्ष पश्चात न्यायालय में साक्ष्य होने के कारण स्वाभाविक हैं तथा ऐसे सामान्य विरोधाभास अभियोजन के मूल प्रकरण को प्रभावित नहीं करते। यह भी निवेदन किया गया कि घटना का तत्काल पर्चा बयान घायल युसुफ द्वारा अस्पताल में दिया गया, जिसमें सभी अभियुक्तों के नाम, उनके हाथों में हथियार, प्रत्येक घायल पर किया गया हमला तथा घटना का कारण स्पष्ट रूप से अंकित है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त शीघ्र दर्ज हुई है, जिससे झूठे अभियोग अथवा विचार–विमर्श कर कहानी गढ़ने की सम्भावना स्वतः समाप्त हो जाती है। बाद में न्यायालय में दिए गए गवाहों के कथन भी मूल घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट का पर्याप्त समर्थन करते हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि हस्तगत घटना किसी आकस्मिक अथवा क्षणिक उत्तेजना में घटित साधारण झगड़े का परिणाम नहीं थी बल्कि अभियुक्तगण पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण एक राय होकर घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुँचे तथा परिवादी पक्ष पर जानलेवा हमला किया। अभियुक्तगण का आचरण, उनके द्वारा प्रयुक्त घातक हथियार, चोटों की प्रकृति तथा घटना का सम्पूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से उनके सामान्य आशय एवं हत्या करने के उद्देश्य को सिद्ध करता है।

(43) विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तगण एवं परिवादी पक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश होना स्वयं अभियोजन गवाहों एवं बचाव पक्ष के सुझावों से भी सिद्ध है। पूर्व में जन्मदिन के विवाद एवं राजीनामे की बात स्वीकार होने से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष एक–दूसरे को पूर्व से जानते थे। अतः अभियुक्तों की पहचान में किसी प्रकार की भूल अथवा गलत व्यक्ति को नामजद करने की सम्भावना नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य पूर्णतः अभियोजन के मौखिक साक्ष्य का समर्थन करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक फरमान की मृत्यु सिर पर कुन्द वस्तु से लगी गम्भीर चोट के कारण हुई, जो मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार घायल आरिफ के सिर में गम्भीर चोट पाई गई तथा घायल युसुफ के शरीर पर भी कुन्द वस्तु से कारित चोटें पाई गई। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन की घटना को असत्य सिद्ध नहीं करती बल्कि उसके महत्वपूर्ण अंशों की पुष्टि करती है। विद्वान लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष द्वारा अनुसन्धान में कथित कमियों का उल्लेख किए जाने पर यह तर्क दिया कि यदि अनुसन्धान में कहीं कोई त्रुटि अथवा कमी रह भी गई हो तो उसका लाभ तभी अभियुक्त को दिया जा सकता है जब उससे अभियोजन की मूल कहानी ही अविश्वसनीय हो जाए। मात्र अनुसन्धान में हुई त्रुटियों अथवा स्वतन्त्र गवाहों के अभाव से प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल गवाहों की विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि सामान्यतः स्वतन्त्र व्यक्ति न्यायालयी कार्यवाही से बचने का प्रयास करते हैं। अतः उनके परीक्षित नहीं होने मात्र से अभियोजन का सम्पूर्ण प्रकरण असफल नहीं माना जा सकता।

(44) बरामदगी एवं एफएसएल के सम्बन्ध में विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क दिया कि अभियुक्तों की सूचना पर हथियारों की बरामदगी हुई, जिन्हें विधिवत जब्त कर एफएसएल भेजा गया। यदि किसी कारणवश हथियारों पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए अथवा बरामद वस्तुएँ सामान्य प्रकार की हों तब भी केवल इसी आधार पर प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल गवाहों की स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन का मुख्य आधार प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य है, जिसे चिकित्सीय साक्ष्य का भी पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। अन्त में विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, चिकित्सीय, दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से एक

राय होकर मृतक फरमान, घायल आरिफ एवं युसुफ पर जानलेवा हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप फरमान की मृत्यु हुई तथा आरिफ को गम्भीर एवं युसुफ को साधारण चोटें आई। अतः अभियोजन द्वारा आरोप सन्देह से परे प्रमाणित किए जा चुके हैं, इसलिए अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

(45) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.04.2023 को सायं लगभग 5:35 बजे ग्राम घांघू स्थित मस्जिद में असर की नमाज अदा करने के उपरान्त परिवादी युसुफ खां, आरिफ खां एवं फरमान खां जब अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी अभियुक्तगण इमरान, इरफान एवं मकसूद तथा अनुसन्धान लम्बित अभियुक्त जाफर एवं खुशी उर्फ शमशेर ने एकराय होकर उन पर लोहे के पाइप एवं लाठी से प्राणघातक हमला किया, जिससे फरमान के सिर पर गम्भीर चोट लगी, आरिफ को भी सिर पर गम्भीर चोटें आई तथा युसुफ को भी चोटें कारित हुई।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की उपस्थिति –

(46) इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अभियोजन ने **पी.डब्ल्यू. 1 इरफान (मृतक फरमान का सगा भाई), पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां (मृतक का चाचा एवं स्वयं घायल), पी.डब्ल्यू. 8 शौकत खां पुत्र ऐवज खां (मोहल्ले का प्रत्यक्षदर्शी), पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां (मृतक का चचेरा भाई एवं स्वयं घायल) तथा पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली पुत्र उमरदीन खां (मृतक का सगा बड़ा भाई)** को परीक्षित किया है। **पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां** स्वयं घटना के घायल एवं प्रथम सूचना का आधार पर्चा बयान प्रदर्श पी–6 का लेखक है। इस गवाह ने घटना का जो विवरण न्यायालय में दिया है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के मूल स्वरूप से पूर्णतः सामंजस्य रखता है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया कि अभियुक्त इरफान एवं इमरान के हाथों में लोहे के पाइप तथा अभियुक्त मकसूद के हाथ में लाठी थी और तीनों अभियुक्तों द्वारा उन पर तथा उसके साथ चल रहे आरिफ एवं फरमान पर हमला किया गया। इस गवाह का घटनास्थल पर उपस्थित होना स्वाभाविक है क्योंकि वह स्वयं घटना में घायल हुआ तथा उसके शरीर पर आई चोटों का चिकित्सीय प्रमाण भी अभिलेख पर उपलब्ध है। घायल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को विधि में अत्यधिक विश्वसनीय माना गया है, क्योंकि वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को झूठा फँसाने की सम्भावना अत्यन्त न्यून होती है। इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां** भी स्वयं घटना का घायल प्रत्यक्षदर्शी है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कहा कि मस्जिद से बाहर निकलने के पश्चात अभियुक्तगण ने उन पर हमला किया, अभियुक्त इमरान ने उसके सिर पर लोहे के पाइप से वार किया तथा जब फरमान उसे उठाने के लिए आया तो उस पर भी प्रहार किया गया। इस गवाह की उपस्थिति केवल मौखिक कथन तक सीमित नहीं है बल्कि उसके सिर पर आई गम्भीर चोट का चिकित्सीय साक्ष्य प्रदर्श पी–43 एवं प्रदर्श पी–44 द्वारा पुष्ट होता है। अतः इस गवाह की घटनास्थल पर उपस्थिति सन्देह से परे सिद्ध होती है। **पी.डब्ल्यू. 1 इरफान** ने भी न्यायालय में घटना का समर्थन करते हुए बताया कि बचाओ–बचाओ का शोर सुनकर वह घटनास्थल पर पहुँचा तथा अभियुक्तगण को फरमान, आरिफ एवं युसुफ के साथ मारपीट करते हुए देखा। इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू. 8 शौकत खां पुत्र ऐवज खां** ने भी स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना बताया तथा स्वयं घायल फरमान को अस्पताल पहुँचाने में सहयोग करना स्वीकार किया। **पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली पुत्र उमरदीन खां** ने भी अपने भाई फरमान, आरिफ एवं युसुफ पर अभियुक्तगण द्वारा किए गए हमले का प्रत्यक्ष विवरण दिया तथा घायलों को अस्पताल ले जाने का कथन किया। इन समस्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों का समग्र अध्ययन करने पर घटना का मूल स्वरूप, अभियुक्तों की उपस्थिति, हथियारों का प्रयोग तथा घायलों को लगी चोटों के सम्बन्ध में पर्याप्त सामंजस्य परिलक्षित होता है।

(47) अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त सभी गवाह मृतक अथवा घायल पक्ष के **रिश्तेदार** हैं। अतः उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है कि मात्र रिश्तेदारी के कारण किसी

गवाह की साक्ष्य स्वतः अविश्वसनीय हो जाए। यदि रिश्तेदार गवाह की साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वासयोग्य एवं अन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो तो केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सम्बन्धित (Related) गवाह आवश्यक रूप से हितबद्ध (Interested) गवाह नहीं होता, और उसके कथन का मूल्यांकन अन्य किसी गवाह की भाँति उसकी विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। अभियुक्त पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटना रमजान के माह में मस्जिद के बाहर हुई , जहाँ अनेक नमाजी उपस्थित थे, फिर भी किसी **स्वतन्त्र गवाह** को अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में अनुसन्धान अधिकारी **पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम** ने स्पष्ट कहा है कि उसने स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान लेने का प्रयास किया था किन्तु उन्होंने बयान देने में असमर्थता व्यक्त की। केवल इस कारण कि कोई स्वतन्त्र व्यक्ति अभियोजन का गवाह नहीं बना, प्रत्यक्षदर्शी घायल गवाहों की सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या जैसे गम्भीर अपराधों में सामान्य व्यक्ति न्यायालयी कार्यवाही से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र गवाह का अभाव अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी को अविश्वसनीय नहीं बनाता।

(48) अभियुक्तगण द्वारा यह भी कहा गया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों में हथियार , घटनास्थल अथवा हमले के क्रम के सम्बन्ध में **कुछ विरोधाभास** हैं। न्यायालय के मत में ये विरोधाभास घटना के लगभग दो वर्ष पश्चात न्यायालय में दिए गए बयानों में स्वाभाविक स्मृति –दोष (normal errors of observation and memory) की श्रेणी में आते हैं। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से घटना का शब्दशः एवं गणितीय रूप से समान विवरण अपेक्षित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी प्रमुख गवाहों ने अभियुक्त इमरान, इरफान एवं मकसूद की घटनास्थल पर उपस्थिति, उनके द्वारा हथियारों से हमला करना तथा फरमान, आरिफ एवं युसुफ को चोटें पहुँचाना एक स्वर में बताया है। अतः छोटे –मोटे विरोधाभास अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित नहीं करते। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों को चिकित्सीय साक्ष्य, घटनास्थल से रक्तरंजित कंक्रीट की बरामदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। फलतः इन गवाहों की साक्ष्य को केवल रिश्तेदारी, स्वतन्त्र गवाह के अभाव अथवा सामान्य विरोधाभासों के आधार पर अस्वीकार करने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 16.04.2023 को अभियोजन द्वारा वर्णित घटना ग्राम घांघू स्थित मस्जिद के बाहर घटित हुई, उस समय **पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां, पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां, पी.डब्ल्यू. 1 इरफान, पी.डब्ल्यू. 8 शौकत खां पुत्र ऐवज खां तथा पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली पुत्र उमरदीन खां** घटनास्थल पर उपस्थित थे तथा इनकी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं परस्पर पुष्ट होने के कारण पूर्ण विश्वास के योग्य है। अभियुक्तगण द्वारा इन गवाहों को केवल रिश्तेदार अथवा हितबद्ध बताकर उनकी साक्ष्य को अस्वीकार कराने का प्रयास अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि के स्थापित सिद्धान्तों के प्रकाश में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

मोटिव (पूर्व रंजिश) –

(49) अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य पर्याप्त रूप से स्थापित होता है कि घटना दिनांक 16.04.2023 आकस्मिक अथवा बिना किसी कारण के घटित नहीं हुई बल्कि इसके पीछे दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश एवं वैमनस्य एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारण (Motive) के रूप में विद्यमान था। यद्यपि यह भी विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षदर्शी एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में केवल मोटिव का अभाव अभियोजन के प्रकरण को विफल नहीं करता, तथापि जहाँ मोटिव भी साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो जाए, वहाँ वह अभियोजन के प्रकरण को अतिरिक्त बल एवं पुष्टि प्रदान करता है। प्रथम सूचना का आधार पर्चा बयान प्रदर्श पी –6 में घायल युसुफ खां ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अभियुक्त जाफर खां के परिवार से उनकी पूर्व से रंजिश चली आ रही थी तथा अभियुक्तगण द्वारा उन्हें जान से मारने की खुली धमकियाँ दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी प्रकार के विचार–विमर्श अथवा मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का अवसर प्राप्त होने से पूर्व दर्ज हुई थी। अतः

प्रथम सूचना में पूर्व रंजिश का उल्लेख किया जाना अभियोजन की कहानी की स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता को बल प्रदान करता है। **पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां** ने अपने मुख्य परीक्षण में भी स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2021 में बच्ची के जन्मदिन को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसके कारण अभियुक्तगण उनसे रंजिश रखते थे। यद्यपि जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त विवाद के पश्चात राजीनामा हो गया था किन्तु यह स्वीकारोक्ति अपने आप में अभियोजन के कथन का खण्डन नहीं करती। किसी विवाद का राजीनामा हो जाना इस बात का अन्तिम प्रमाण नहीं माना जा सकता कि दोनों पक्षों के मध्य मनोमालिन्य पूर्णतः समाप्त हो गया था। सामाजिक जीवन में अनेक अवसरों पर औपचारिक राजीनामा होने के बावजूद पक्षकारों के मध्य आंतरिक वैमनस्य बना रहता है, जो अवसर मिलने पर पुनः हिंसक रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली**, जो मृतक फरमान का सगा भाई है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 2021 के जन्मदिन वाले विवाद के पश्चात भले ही राजीनामा हो गया था किन्तु अभियुक्तगण लगातार उन्हें धमकियाँ देते रहे। इस गवाह ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस थाना सदर, चूरू में शिकायत भी की गई थी। यद्यपि उक्त शिकायत की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि केवल इस कारण गवाह की सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जबकि पूर्व विवाद का तथ्य अन्य गवाहों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। **पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां** ने भी स्पष्ट कहा है कि बच्ची के जन्मदिन को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था तथा उसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण ने उन पर हमला किया। इस प्रकार घायल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा भी घटना के पीछे पूर्व वैमनस्य को कारण बताया जाना अभियोजन के कथन को पुष्ट करता है।

(50) बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि स्वयं अभियोजन के गवाहों ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। अतः रंजिश समाप्त हो चुकी थी और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मोटिव असत्य है। उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। राजीनामा का तथ्य केवल यह दर्शाता है कि पूर्व में दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था। यदि वास्तव में कोई विवाद हुआ ही नहीं होता तो राजीनामा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः बचाव पक्ष द्वारा जिस तथ्य को अभियोजन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, वही तथ्य पूर्व विवाद के अस्तित्व की पुष्टि करता है। जहाँ तक रंजिश समाप्त होने का प्रश्न है, उसके समर्थन में अभियुक्त पक्ष ने कोई स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम ने जिरह में स्वीकार किया है कि अनुसन्धान के दौरान उसके समक्ष दोनों पक्षों के मध्य पूर्व विवाद एवं बाद में राजीनामा होने का तथ्य आया था। इस प्रकार अनुसन्धान अधिकारी की साक्ष्य भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से विवाद विद्यमान था। केवल यह कहना कि राजीनामा के पश्चात पुनः किसी विवाद की जानकारी अनुसन्धान में नहीं आई, अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अपराध के लिए आवश्यक प्रेरणा (Motive) का पूर्ण एवं प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्येक मामले में उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है। मोटिव एक परिस्थितिजन्य तथ्य है, जिसे सम्पूर्ण साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से परखा जाता है।

(51) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हो, वहाँ मोटिव का सीमित महत्व रह जाता है किन्तु यदि मोटिव भी साक्ष्य से सिद्ध हो जाए तो वह अभियोजन की कहानी को अतिरिक्त पुष्टता प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में यह देखना भी आवश्यक होता है कि प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य किस पक्ष का समर्थन करते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी घायल गवाहों की साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा घटनास्थल से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्य सभी अभियोजन की कहानी का समर्थन करते हैं। अतः पूर्व रंजिश को झूठे अभियोजन का आधार मानने के बजाय अपराध की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना अधिक स्वाभाविक एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है। फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्ष 2021 में जन्मदिन के विवाद से प्रारम्भ हुआ वैमनस्य दोनों पक्षों के मध्य विद्यमान था। राजीनामा हो जाने के बावजूद उक्त मनोमालिन्य पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था तथा अभियुक्तगण के मन में परिवादी पक्ष के प्रति विद्यमान द्वेष एवं शत्रुता ही घटना का प्रमुख प्रेरक कारण रही। अतः अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व रंजिश (Motive) का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध किया गया है, जो प्रत्यक्षदर्शी

एवं चिकित्सीय साक्ष्य के साथ मिलकर अभियोजन के प्रकरण को और अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाता है।

चिकित्सीय साक्ष्य –

(52) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य का समग्र परीक्षण करने पर यह निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि घटना में मृतक फरमान, घायल आरिफ एवं घायल युसुफ को कुन्द हथियारों द्वारा चोटें कारित हुई। चिकित्सीय साक्ष्य न केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का पर्याप्त समर्थन करती है बल्कि अभियोजन द्वारा वर्णित घटना के स्वरूप, प्रयुक्त हथियार तथा घटना के परिणाम की भी पुष्टि करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय हो तथा चिकित्सीय साक्ष्य उससे सामान्यतः सामंजस्य रखता हो तो दोनों साक्ष्य एक–दूसरे को पुष्ट करते हैं और अभियोजन का प्रकरण अधिक सुदृढ़ हो जाता है। मृतक फरमान की मृत्यु के सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू. 23 डॉ. प्रियंका शर्मा** ने बतौर मेडिकल बोर्ड की सदस्य **पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–39** के सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 17.04.2023 को मृतक का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मृतक के सिर के मध्य पेराइटल क्षेत्र में 4 सेंटीमीटर का कुचला हुआ घाव पाया गया, जिसके नीचे कम्यूनिटेड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर विद्यमान था तथा फ्रैक्चर की रेखाएँ दोनों पेराइटल एवं ऑक्सिपिटल अस्थियों तक विस्तृत थी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में व्यापक रक्तस्राव पाया गया तथा मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट राय दी कि मृत्यु का कारण सिर की गम्भीर चोट से उत्पन्न कोमा था, जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

(53) बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतक के शरीर पर केवल एक ही चोट पाई गई है। अतः अभियोजन की कहानी सन्देहास्पद है। उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता (हत्या) के अपराध के लिए चोटों की संख्या निर्णायक नहीं होती बल्कि चोट की प्रकृति, उसका स्थान तथा उससे उत्पन्न परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि सिर जैसे अत्यन्त संवेदनशील भाग पर कुन्द एवं भारी हथियार से ऐसी चोट पहुँचाई जाती है, जो सामान्य रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तो केवल इस आधार पर कि शरीर पर एक ही चोट थी, अभियुक्त की आपराधिक उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि एक मात्र प्रहार भी, यदि वह शरीर के अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग पर पर्याप्त बल से किया गया हो और सामान्य रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तो धारा 302 का अपराध सिद्ध हो सकता है। घायल आरिफ के सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू. 24 डॉ. जमशीद बानो ने प्रदर्श पी–43 के माध्यम से उसके सिर के बाएँ पेराइटल क्षेत्र में 5×1 सेमी का लसरेटेड घाव पाया तथा सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। तत्पश्चात थानाधिकारी के पत्र प्रदर्श पी–44, एस.एम.एस. चिकित्सालय की बेडहेड टिकट एवं सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने यह राय दी कि घायल के सिर में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज (Extra Dural Hemorrhage) विद्यमान था तथा उक्त चोट **प्राणघातक (Dangerous to Life)** प्रकृति की है। इससे स्पष्ट है कि आरिफ के सिर जैसे शरीर के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पर कारित चोट सामान्य न होकर प्राणघातक प्रकृति की थी। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि घायल आरिफ को अभियुक्त द्वारा सिर पर प्राणघातक चोट कारित की गई।

(54) बचाव पक्ष ने यह आपत्ति उठाई कि रेडियोलॉजिस्ट को परीक्षित नहीं किया गया, इसलिए आरिफ की गम्भीर चोट प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। यह तर्क हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में स्वीकार्य नहीं है। चिकित्सक ने केवल अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि एस.एम.एस. अस्पताल की उपचार अभिलेखों एवं सीटी स्कैन रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत अपनी अन्तिम राय दी है। उक्त चिकित्सा अभिलेख अनुसन्धान के दौरान विधिवत प्राप्त कर पत्रावली में सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त घायल आरिफ स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी है तथा उसके सिर पर लगी चोट का तथ्य किसी स्तर पर विवादित नहीं है। अतः केवल रेडियोलॉजिस्ट के परीक्षित न होने से सम्पूर्ण चिकित्सीय साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। घायल युसुफ के सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू. 25 डॉ. आशीष तिवाड़ी** ने प्रदर्श पी–46 के माध्यम से उसके सिर पर टांका लगा हुआ घाव, दाहिने कंधे पर खरोंच तथा पैर में दर्द

पाया तथा सभी चोटों को कुन्द वस्तु से कारित होना बताया। यद्यपि इस गवाह द्वारा युसुफ का चिकित्सीय परीक्षण घटना के लगभग बारह दिन बाद किया गया, तथापि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना के तत्काल बाद युसुफ को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घांघू तथा उसके बाद राजकीय भरतिया चिकित्सालय, चूरू ले जाया गया था। गम्भीर घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता थी, न कि उसी समय विधिवत चिकित्सीय परीक्षण कराना। उपचारोपरान्त अन्तिम चिकित्सीय राय बाद में दी जाना इस कारण से स्वाभाविक प्रतीत होता है।

(55) बचाव पक्ष ने युसुफ के विलंब से हुए चिकित्सीय परीक्षण को आधार बनाकर उसकी चोटों को सन्देहास्पद बताने का प्रयास किया है। किन्तु यह तर्क भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में स्वीकार्य नहीं है। **पी.डब्ल्यू. 21 एएसआई वीरेन्द्र सिंह** ने स्पष्ट कहा है कि घटना की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुँचा, जहाँ घायलों का उपचार प्रारम्भ हो चुका था। उसने चिकित्सकों को मेडिकल परीक्षण हेतु आवश्यक तहरीर भी दी थी। गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जाना स्वाभाविक चिकित्सीय प्रक्रिया है। अतः केवल इस आधार पर कि अन्तिम चोट प्रतिवेदन बाद में तैयार हुआ, यह नहीं कहा जा सकता कि युसुफ को घटना में कोई चोट नहीं लगी थी। **पी.डब्ल्यू. 27 डॉ. सोमवीर** ने भी स्पष्ट किया है कि उसने घटना वाले दिन भरतिया चिकित्सालय में **फरमान एवं आरिफ** का **प्राथमिक उपचार** किया तथा दोनों के सिर में चोट होना पाया। उनके द्वारा तैयार रोगी उपचार पत्र एवं इंडोर टिकट भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि दोनों घायलों को घटना के तुरंत बाद अस्पताल लाया गया था। यह साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों का महत्वपूर्ण समर्थन करता है। चिकित्सीय साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृतक फरमान को सिर पर एक अत्यन्त गम्भीर एवं प्राणघातक चोट लगी, जिससे उसकी मृत्यु हुई, घायल आरिफ को सिर पर प्राणघातक चोट पहुँची जबकि घायल युसुफ को साधारण चोटें कारित हुई। आहत आरिफ के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके सिर जैसे शरीर के अत्यन्त संवेदनशील अंग पर लोहे के पाइप जैसे कठोर एवं कुन्द हथियार से प्रहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज उत्पन्न हुआ। चिकित्सीय साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आहत आरिफ के सिर पर कारित चोट चिकित्सक द्वारा प्राणघातक (Dangerous to Life) प्रकृति की मानी गई है। धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के लिए प्रयुक्त हथियार, प्रहार का स्थान, उसकी तीव्रता तथा घटना की परिस्थितियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आहत आरिफ के सिर जैसे शरीर के अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण अंग पर लोहे के पाइप से प्रहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर में एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज उत्पन्न हुआ तथा चिकित्सक ने उक्त चोट को प्राणघातक माना है। अतः यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का कृत्य ऐसा था, जिससे मृत्यु कारित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान थी। फलस्वरूप आहत आरिफ के सम्बन्ध में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध होते हैं। उक्त समस्त चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों द्वारा वर्णित घटना , प्रयुक्त हथियारों तथा अभियोजन के मूल कथानक के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। बचाव पक्ष द्वारा इंगित त्रुटियाँ एवं तकनीकी आपत्तियाँ ऐसी नहीं हैं, जिनसे अभियोजन का चिकित्सीय आधार अविश्वसनीय हो जाए। फलस्वरूप यह भी सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक फरमान के सिर पर कारित प्राणघातक चोट ही उसकी मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण बनी, जबकि आहत आरिफ को सिर पर प्राणघातक प्रकृति की चोट तथा युसुफ को साधारण चोटें कारित हुईं। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय एवं पोस्टमार्टम साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय, निष्पक्ष एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से पुष्ट होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है तथा यह अभियोजन के प्रकरण को पर्याप्त बल प्रदान करती है।

घटनास्थल एवं घटनास्थल से प्राप्त आलामात –

(56) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि घटना ग्राम घांघू स्थित मस्जिद के बाहर चक्की एवं नोहरे के समीप सार्वजनिक मार्ग पर घटित हुई, जहाँ से अनुसन्धान अधिकारी द्वारा रक्तरंजित एवं साधारण कंक्रीट के नमूने जब्त किए गए तथा मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का **वैज्ञानिक निरीक्षण** भी किया

गया। घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्य अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथनों का महत्वपूर्ण समर्थन करते हैं तथा घटना के स्थान एवं स्वरूप के सम्बन्ध में अभियोजन के कथन को पुष्ट करते हैं। अनुसन्धान अधिकारी **पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम** ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कहा है कि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोड़े जाने के उपरान्त उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 एवं हालात मौका प्रदर्श पी–6 ए तैयार किया तथा घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण कंक्रीट फर्द जब्ती प्रदर्श पी–7 के माध्यम से विधिवत जब्त कर सील–मोहर की। उक्त कार्यवाही के समय उपस्थित गवाह पी.डब्ल्यू. 8 शौकत खां पुत्र ऐवज खां तथा **पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली पुत्र उमरदीन** ने भी इस जब्ती एवं नक्शा मौका की कार्यवाही का समर्थन किया है। दोनों गवाहों ने यह स्वीकार किया कि पुलिस घटनास्थल पर आई तथा उनके समक्ष आवश्यक कार्यवाही संपन्न की गई। **पी.डब्ल्यू. 22 कृष्ण कुमार गुगड़**, जो उस समय प्रभारी मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट, चूरू के पद पर पदस्थापित थे, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसन्धान अधिकारी की सूचना पर वह दिनांक 18.04.2023 को घटनास्थल पहुँचे तथा घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घटनास्थल के फोटोग्राफ लिए, निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–34 तैयार की, कवरिंग लेटर प्रदर्श पी–35 प्रस्तुत किया तथा घटनास्थल के फोटोग्राफ प्रदर्श पी–36 एवं पी–37 न्यायालय में प्रदर्शित किए। इस गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके घटनास्थल पर पहुँचने के समय वहाँ रक्त के धब्बे विद्यमान थे, जिनका निरीक्षण किया गया। यह साक्ष्य घटनास्थल पर रक्तपात होने की घटना का स्वतन्त्र वैज्ञानिक समर्थन करता है।

(57) बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट घटना के दो दिन पश्चात घटनास्थल पर पहुँची तथा इस अवधि में लोगों एवं वाहनों का आवागमन होता रहा। अतः वैज्ञानिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। केवल इस कारण कि वैज्ञानिक दल कुछ समय पश्चात घटनास्थल पर पहुँचा, यह नहीं कहा जा सकता कि घटनास्थल का निरीक्षण अथवा वहाँ उपलब्ध भौतिक साक्ष्य स्वतः अविश्वसनीय हो जाते हैं। विशेष रूप से तब जबकि घटनास्थल से रक्तरंजित कंक्रीट पूर्व में ही विधिवत जब्त की जा चुकी थी तथा निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ अभियोजन की मौखिक साक्ष्य से पूर्णतः सामंजस्य रखते हैं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि नक्शा मौका में कुछ दुकानों का उल्लेख है किन्तु उनके स्वामियों अथवा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान अनुसन्धान अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए गए। यह तर्क भी अभियोजन के मूल प्रकरण को प्रभावित करने वाला नहीं है। अनुसन्धान अधिकारी ने जिरह में स्पष्ट कहा है कि उसने स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान लेने का प्रयास किया था किन्तु वे सहयोग के लिए तैयार नहीं हुए। यह भी स्वीकार किया कि रमजान के माह में मस्जिद में भीड़ रहती थी, परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा बयान देने से इंकार कर देने मात्र से घटनास्थल का अस्तित्व अथवा वहाँ घटित घटना सन्दिग्ध नहीं हो जाती। अनुसन्धान में यदि कोई कमी अथवा त्रुटि रह भी गई हो तो उसका लाभ तब तक अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता जब तक वह अभियोजन की मूल कहानी को प्रभावित न करती हो। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित सिद्धान्त है कि अनुसन्धान की त्रुटि (Defective Investigation) मात्र से विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य का महत्व समाप्त नहीं हो जाता। **पी.डब्ल्यू. 21 विरेन्द्र सिंह** द्वारा मृतक का पंचनामा प्रदर्श पी–1, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–2 तथा मृतक के रक्तरंजित कपड़ों की जब्ती प्रदर्श पी–3 तैयार की गई। उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि मृतक के शव का विधिवत पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा उसके पहने हुए रक्तरंजित वस्त्र सुरक्षित रूप से जब्त किए गए। इसी प्रकार मजरूब युसुफ एवं आरिफ के रक्तरंजित वस्त्र भी प्रदर्श पी–4 एवं पी–5 के माध्यम से जब्त किए गए। मालखाना प्रभारी **पी.डब्ल्यू. 17 देवी सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 16 मनीराम** ने इन समस्त जब्तशुदा वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) तथा एफएसएल प्रेषण की प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन किया है। **पी.डब्ल्यू. 18 सन्दीप कुमार** ने भी यह सिद्ध किया कि सभी सीलबन्द पैकेट सुरक्षित अवस्था में एफएसएल बीकानेर में जमा कराए गए। इस प्रकार जब्ती से लेकर वैज्ञानिक परीक्षण तक साक्ष्यों की श्रृंखला (Chain of Custody) विधिवत सिद्ध होती है।

(58) बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि फॉरेन्सिक अधिकारी ने फिंगरप्रिंट अथवा मोल्ड नहीं लिए तथा निरीक्षण सम्बन्धी कुछ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। न्यायालय के मत में यह आपत्ति भी

अभियोजन के मूल प्रकरण को प्रभावित नहीं करती। स्वयं **पी.डब्ल्यू. 22** ने स्पष्ट किया कि फिंगरप्रिंट एवं मोल्ड लेने का कार्य मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट का न होकर एम.ओ.बी. टीम का होता है। अतः उक्त कार्यवाही का न होना अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी को अविश्वसनीय नहीं बनाता। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत **वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य** साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि घटनास्थल वही है जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं अनुसन्धान अधिकारी ने किया है। घटनास्थल से रक्तरंजित कंक्रीट का प्राप्त होना, मृतक एवं घायलों के रक्तरंजित वस्त्रों का जब्त होना, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की विधिवत कार्यवाही तथा मोबाइल फॉरेन्सिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण–ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन की कहानी को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन द्वारा घटना का स्थान, घटनास्थल से प्राप्त भौतिक आलामात, पंचनामा, रक्तरंजित वस्त्रों की जब्ती तथा वैज्ञानिक निरीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अनुसन्धान की जिन त्रुटियों अथवा तकनीकी कमियों की ओर संकेत किया गया है, वे ऐसी प्रकृति की नहीं हैं जिनसे अभियोजन का मूल कथानक अविश्वसनीय हो जाए अथवा प्रत्यक्षदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य का महत्व समाप्त हो जाए। फलस्वरूप घटनास्थल एवं वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण को पर्याप्त पुष्टि एवं बल प्रदान करते हैं।

अभियुक्तगण से हथियारों की बरामदगी –

(59) अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि घटना में प्रयुक्त हथियार अभियुक्त इमरान, इरफान एवं मकसूद की सूचना पर उनके विशेष ज्ञान के आधार पर बरामद किए गए। इस सम्बन्ध में अनुसन्धान अधिकारी **पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम** के अतिरिक्त **पी.डब्ल्यू. 11 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू. 12 धर्मेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 13 सरजीत सिंह, पी.डब्ल्यू. 15 नवीन कुमार, पी.डब्ल्यू. 16 मनीराम, पी.डब्ल्यू. 17 देवी सिंह एवं पी.डब्ल्यू. 18 सन्दीप कुमार** की साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। इन समस्त गवाहों के कथनों का समग्र परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त इमरान की सूचना पर लोहे का पाइप, अभियुक्त इरफान की सूचना पर लोहे का पाइप तथा अभियुक्त मकसूद की सूचना पर काठ की लाठी बरामद की गई, जिन्हें विधिवत सील–मोहर कर मालखाने में जमा कराया गया तथा तत्पश्चात एफएसएल भेजा गया। **पी.डब्ल्यू. 26 अनुसन्धान अधिकारी रजीराम** ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त इमरान की सूचना प्रदर्श पी–12 के आधार पर लोहे का पाइप प्रदर्श पी–10 से बरामद किया गया तथा उसका नक्शा मौका प्रदर्श पी–11 तैयार किया गया। इसी प्रकार अभियुक्त इरफान की सूचना प्रदर्श पी–14 के आधार पर लोहे का पाइप प्रदर्श पी–17 से तथा अभियुक्त मकसूद की सूचना प्रदर्श पी–16 के आधार पर काठ की लाठी प्रदर्श पी–19 से बरामद की गई। इन समस्त बरामदगियों की पुष्टि सम्बन्धित बरामदगी गवाहों **पी.डब्ल्यू. 11, पी.डब्ल्यू. 12, पी.डब्ल्यू. 13 एवं पी.डब्ल्यू. 15** ने भी की है।

(60) बचाव पक्ष ने मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया है कि बरामदगी स्थल खुला नोहरा था, वहाँ किसी भी व्यक्ति का आना–जाना सम्भव था, स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए तथा बरामदगी में कोई स्वतन्त्र गवाह सम्मिलित नहीं किया गया। न्यायालय उक्त तर्कों को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाता। यह निर्विवाद विधिक सिद्धान्त है कि **धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** का आधार बरामद वस्तु का अभियुक्त के विशेष ज्ञान (Exclusive Knowledge) में होना है, न कि केवल उस स्थान का पूर्ण स्वामित्व सिद्ध किया जाना। यदि अभियुक्त की सूचना के फलस्वरूप ऐसी वस्तु प्राप्त होती है, जिसके सम्बन्ध में जानकारी सामान्यतः अन्य व्यक्तियों को नहीं थी तो केवल इस कारण बरामदगी अविश्वसनीय नहीं हो जाती कि वह स्थान खुला था अथवा वहाँ अन्य व्यक्तियों का भी आना–जाना सम्भव था। अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया कि बरामदगी के समय स्वतन्त्र गवाह उपस्थित नहीं थे तथा केवल पुलिसकर्मियों को ही बरामदगी का गवाह बनाया गया। इस सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू. 13 सरजीत सिंह तथा पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम** ने स्पष्ट कहा है कि गाँव के व्यक्तियों को बुलाया गया था किन्तु उन्होंने कार्यवाही में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या जैसे गम्भीर अपराधों में सामान्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस कार्यवाही से दूरी बनाए रखना असामान्य नहीं है।

केवल स्वतन्त्र गवाह का अभाव बरामदगी को स्वतः अविश्वसनीय नहीं बनाता, यदि पुलिस गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय एवं परस्पर संगत हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य विश्वसनीय हो तो केवल इस आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह पुलिसकर्मी है या स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध नहीं हुआ।

(61) बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि बरामद लोहे के पाइप एवं लाठी पर **मानव रक्त** प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बरामदगी अविश्वसनीय है किन्तु यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि घटना दिनांक 16.04.2023 की है, जबकि बरामदगियाँ क्रमशः 21.04.2023 एवं 02.05.2023 को हुई। ऐसी स्थिति में केवल बरामद हथियारों पर मानव रक्त न मिलना इस निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकता कि उन्हीं हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ। चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि मृतक एवं घायलों को कुन्द हथियारों से चोटें कारित हुई थी तथा बरामद हथियार भी उसी प्रकृति के हैं। इसी प्रकार बचाव पक्ष द्वारा लाठी के आकार को लेकर किया गया विरोध भी महत्वपूर्ण नहीं है। किसी ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी से वर्षों पश्चात लाठी की बनावट का तकनीकी विवरण अपेक्षित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त मकसूद के हाथ में लाठी होना बताया है तथा चिकित्सकीय साक्ष्य भी उसी प्रकार के हथियार से चोट कारित होना सिद्ध करती है।

(62) बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त इमरान एवं इरफान से एक ही नोहरे से अलग –अलग तिथियों में लोहे के पाइप बरामद किए गए, इसलिए दूसरी बरामदगी सन्देहास्पद है। यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुसन्धान अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दोनों बरामदगियाँ अभियुक्तों द्वारा पृथक–पृथक दी गई सूचनाओं के आधार पर **धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अन्तर्गत की गई। यदि किसी समान परिसर से अलग–अलग अभियुक्तों के विशेष ज्ञान के आधार पर पृथक वस्तुएँ बरामद होती हैं तो मात्र इस कारण कि बरामदगी स्थल समान है, बरामदगी को झूठा नहीं कहा जा सकता। अभिलेख से यह भी सिद्ध है कि बरामद हथियारों की विधिवत जब्ती, सीलिंग, मालखाना में जमा करने तथा एफएसएल भेजने की समस्त कार्यवाही विधिपूर्वक सम्पन्न हुई, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू.16 मनीराम, पी.डब्ल्यू.17 देवी सिंह एवं पी.डब्ल्यू.18 सन्दीप कुमार की साक्ष्य से होती है। बचाव पक्ष ऐसा कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त बरामदगियाँ कृत्रिम अथवा आरोपित थी। फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्तगण की ओर से बरामदगी के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियाँ अभियोजन के मूल प्रकरण को प्रभावित नहीं करती। प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षियों की विश्वसनीय साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा घटनास्थल से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्य पहले से ही अभियोजन के घटनाक्रम को सिद्ध करते हैं, जबकि अभियुक्तगण की निशानदेही पर हुई बरामदगियाँ उस साक्ष्य को अतिरिक्त पुष्टता प्रदान करती हैं। अतः बरामदगी को सन्देहास्पद बताने सम्बन्धी बचाव पक्ष के तर्क निराधार एवं अस्वीकार्य हैं।

(63) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Ghanshyam Mandal & Ors. v. State of Bihar, 2026 INSC 194 (Criminal Appeal No.3105 of 2025)** में पैरा संख्या 8 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि

> 8. We may also refer to a recent decision in Om Pal and Ors. Vs. State of U.P. 2025 INSC 1262 (SC) In paragraphs 49 and 50 thereof, it has been observed as under:
>
> "49. Another contention raised by the appellants was that the weapons used during the incident were never recovered from the site. However, this Court has many a times reiterated that non– recovery of the weapons cannot be considered fatal to the case of the prosecution if there is consistent medical and ocular evidence. This Court in the case State of Rajasthan vs. Arjun Singh & Ors. AIR 2011 SUPREME COURT 3380 held as under:
>
> "18. As rightly pointed out by the learned Additional Advocate General appearing for the State that mere nonrecovery of pistol or cartridge does not detract the case of the prosecution where clinching and direct evidence is acceptable. Likewise, absence of evidence regarding recovery of used pellets, bloodstained clothes, etc. cannot be taken or construed as no such occurrence had taken place. As a matter of fact, we have already pointed out that the gunshot injuries tallied with medical evidence. It is also

seen that Raghuraj Singh and Himmat Raj Singh, who had died, received 8 and 7 gunshot wounds respectively while Raj Singh (PW2) also received 8 gunshots scattered in front of left 2025 INSC 1262 thigh. All these injuries have been noted by the doctor (PW 1) in his reports, Exts. P–1 to P–4." (Emphasis supplied)

50. Also in Nankaunoo vs. State of Uttar Pradesh AIR 2016 SUPREME COURT 447, this Court held that where in light of unimpeachable oral evidence is corroborated by the medical evidence, non–recovery of murder weapon does not materially affect the case of the prosecution. Any omission on the part of the investigating officer cannot go against the prosecution's case. Story of the prosecution is to be examined dehors such omission by the investigating agency. Otherwise, it would shake the confidence of the people not merely in the law enforcing agency but also in the administration of justice." From the aforesaid, it is clear that the absence of recovery of the weapons of assault would not weaken the case of the prosecution in the presence of other evidence on record that is found reliable.

(64) उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह विधिक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी (Recovery of Weapon) अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अनिवार्य (sine qua non) नहीं है। यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय एवं विश्वासयोग्य हो तथा उसका चिकित्सीय एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो तो मात्र हथियार की बरामदगी न होना, बरामद हथियार पर मानव रक्त का अभाव अथवा बरामदगी के सम्बन्ध में पाई गई सामान्य त्रुटियाँ अभियोजन के प्रकरण को अविश्वसनीय नहीं बनातीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में Rakesh v. State of Uttar Pradesh, Om Pal v. State of Uttarakhand, State of Rajasthan v. Arjun Singh तथा Nankaunoo v. State of Uttar Pradesh के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए पुनः प्रतिपादित किया है कि अनुसन्धान अधिकारी की सामान्य त्रुटियों अथवा कमियों का लाभ अभियुक्त को तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक वे अभियोजन की मूल कहानी को ही अविश्वसनीय अथवा संदेहास्पद न बना दें। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षियों की सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पुष्ट होती है। अतः केवल इस आधार पर कि बरामद हथियारों पर मानव रक्त प्राप्त नहीं हुआ अथवा बरामदगी के सम्बन्ध में बचाव पक्ष ने कुछ त्रुटियाँ इंगित की हैं, अभियोजन के अन्यथा विश्वसनीय एवं पुष्ट साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अभियुक्तगण की निशानदेही पर हुई बरामदगियाँ अभियोजन के प्रकरण को अतिरिक्त पुष्टता प्रदान करती हैं तथा अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य कड़ी के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

गवाहों की साक्ष्य में कथित विरोधाभास–

(65) अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य आधार यह है कि अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आपस में **रिश्तेदार** एवं **हितबद्ध** हैं, उनके कथनों में घटना के समय, घटनास्थल, हथियार, मारपीट के क्रम तथा अभियुक्तों की भूमिका के सम्बन्ध में अनेक विरोधाभास हैं, स्वतन्त्र गवाहों को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अनुसन्धान में अनेक कमियाँ रही हैं। सम्पूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर यह न्यायालय उक्त तर्कों को अभियोजन के मूल प्रकरण को अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त नहीं पाता। हालांकि यह तथ्य सही है कि **पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां, पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां, पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली एवं पी.डब्ल्यू. 1 इरफान** आपस में पारिवारिक सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी गवाह की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सम्बन्धी गवाह की साक्ष्य स्वतन्त्र पुष्टिकरण के अभाव में स्वीकार नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Dalip Singh v. State of Punjab (AIR 1953 SC 364), Masalti v. State of U.P. (AIR 1965 SC 202), State of U.P. v. Krishna Master (2010) 12 SCC 324 तथा Rizan v. State of Chhattisgarh (2003) 2 SCC 661 में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि रिश्तेदार गवाह (Related Witness) और हितबद्ध गवाह (Interested Witness) दोनों समान नहीं हैं। जब तक यह सिद्ध न हो कि गवाह किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने

के उद्देश्य से बयान दे रहा है, केवल रिश्तेदारी उसकी साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती।

(66) हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के **प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी** केवल रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दो गवाह स्वयं घायल भी हैं। **पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ खां एवं पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ खां** की उपस्थिति घटना स्थल पर चिकित्सीय साक्ष्य से भी प्रमाणित है। घायल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को विधि में विशेष महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को झूठा फँसाने की सम्भावना सामान्यतः नहीं रखता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Jarnail Singh v. State of Punjab (2009) 9 SCC 719 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि घायल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है और उसे तभी अस्वीकार किया जा सकता है जब उसके कथन में ऐसी गम्भीर विसंगतियाँ हों जो उसे पूर्णतः अविश्वसनीय बना दें। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती। अभियुक्तगण द्वारा गवाहों के कथनों में यह विरोधाभास इंगित किया गया कि किसी गवाह ने लोहे का पाइप कहा, किसी ने सरिया कहा, किसी ने लाठी का स्वरूप अलग बताया तथा किसी ने हमले का क्रम कुछ भिन्न प्रकार से वर्णित किया। न्यायालय के मत में यह विरोधाभास मूलभूत न होकर स्वाभाविक प्रकृति के हैं। घटना दिनांक 16.04.2023 को घटित हुई जबकि अधिकांश गवाहों के न्यायालयीन बयान लगभग दो वर्ष पश्चात दर्ज हुए। इतने लम्बे समय के उपरान्त प्रत्येक गवाह से घटना के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक प्रहार एवं प्रत्येक हथियार का समान शब्दों में वर्णन अपेक्षित नहीं किया जा सकता। मानवीय स्मरणशक्ति समय के साथ कुछ विवरणों को भूल सकती है किन्तु इससे घटना का मूल स्वरूप असत्य नहीं हो जाता।

(67) यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी गवाह एक स्वर में यह कहते हैं कि अभियुक्त इमरान, इरफान एवं मकसूद घटनास्थल पर उपस्थित थे, उनके हाथों में कठोर हथियार थे, उन्होंने फरमान, आरिफ एवं युसुफ पर हमला किया तथा घटना के परिणामस्वरूप फरमान की मृत्यु हुई और अन्य दोनों घायल हुए। अभियोजन का यह मूल कथानक प्रत्येक गवाह के कथन में समान रूप से विद्यमान है। अतः हथियार की लम्बाई, आकार, मारपीट के क्रम अथवा अन्य गौण तथ्यों में अन्तर अभियोजन के मूल आधार को प्रभावित नहीं करता।

(68) बचाव पक्ष ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि रमजान के माह में मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी उपस्थित थे, फिर भी किसी स्वतन्त्र गवाह को अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में **अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 26 रजीराम** ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान लेने का प्रयास किया था किन्तु उन्होंने सहयोग करने से इंकार कर दिया। ग्रामीण परिवेश में हत्या जैसे गम्भीर अपराधों में सामान्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस एवं न्यायालयी कार्यवाही से स्वयं को दूर रखना न्यायालय के अनुभव के विपरीत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर यह माना है कि स्वतन्त्र गवाह का अभाव स्वयं अभियोजन को अविश्वसनीय नहीं बनाता, यदि उपलब्ध साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय हो। अभियुक्तगण ने अनुसन्धान में कथित कमियों, जैसे कुछ दुकानदारों के बयान दर्ज न करना, मौलवी का बयान न लेना, वाहन चालक को गवाह न बनाना, स्वतन्त्र गवाहों को शामिल न करना तथा कुछ दस्तावेजों का अभाव होना भी अभियोजन के विरुद्ध उठाया है। न्यायालय का मत है कि यदि अनुसन्धान में कोई त्रुटि रह भी गई हो तो उसका लाभ अभियुक्त को तभी दिया जा सकता है जब उससे अभियोजन की मूल कहानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने C. Muniappan v. State of Tamil Nadu, (2010) 9 SCC 567, Dhanaj Singh @ Shera v. State of Punjab, (2004) 3 SCC 654, तथा Shyamal Ghosh v. State of West Bengal, (2012) 7 SCC 646, में प्रतिपादित किया है कि मात्र दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान (Defective Investigation) अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं बनता। यदि न्यायालय के समक्ष उपलब्ध प्रत्यक्ष, चिकित्सकीय एवं अन्य साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण को सन्देह से परे सिद्ध करते हों तो अनुसन्धान की सामान्य कमियों अथवा त्रुटियों के आधार पर अभियुक्त को सन्देह का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायालय का दायित्व उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार

पर सत्य का निर्धारण करना है, न कि केवल अनुसन्धान की कमियों के कारण वास्तविक अपराधी को दण्ड से बचाना।

(69) बचाव पक्ष ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि अभियोजन के कुछ गवाहों के पुलिस कथन विलम्ब से दर्ज किए गए। यह तथ्य भी अभियोजन के प्रकरण को प्रभावित नहीं करता। अभिलेख से स्पष्ट है कि घटना के तुरन्त पश्चात घायलों का उपचार प्राथमिकता पर किया गया, मृतक को जयपुर रेफर किया गया, उसकी मृत्यु हुई तथा अनुसन्धान क्रमशः आगे बढ़ा। **पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ** स्वयं गम्भीर रूप से घायल था तथा उसके उपचार के अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी गवाह का विस्तृत कथन कुछ विलम्ब से लेखबद्ध हुआ तो मात्र उसी आधार पर उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जबकि उसका न्यायालयीन कथन अन्य स्वतन्त्र साक्ष्यों से पुष्ट हो। किसी गवाह द्वारा किसी अभियुक्त के हाथ में पाइप अथवा सरिया कहना, किसी अन्य गवाह द्वारा लाठी के आकार का भिन्न वर्णन करना, किसी गवाह द्वारा घटनास्थल के समीप दुकान का उल्लेख करना अथवा किसी अन्य द्वारा उसका उल्लेख न करना–ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो घटना के मूल स्वरूप को प्रभावित नहीं करते। इसके विपरीत यदि सभी गवाह शब्दशः एक समान कथन करते तो वह अधिक सन्देह उत्पन्न करता। स्वाभाविक गवाही में कुछ सामान्य अन्तर होना ही उसकी स्वाभाविकता का संकेत माना जाता है।

(70) इस न्यायालय के मत में अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की साक्ष्य को चिकित्सीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से प्राप्त रक्तरंजित आलामात, वैज्ञानिक निरीक्षण, जब्ती कार्यवाही तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टि प्राप्त होती है। अतः अभियुक्तगण द्वारा इंगित विरोधाभास , अनुसन्धान की त्रुटियाँ एवं स्वतन्त्र गवाहों का अभाव ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी को सन्देहास्पद अथवा अविश्वसनीय बना दें। फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी गवाह स्वाभाविक, विश्वसनीय एवं विश्वास के योग्य हैं। मात्र उनके पारिवारिक सम्बन्ध, स्वतन्त्र गवाहों का अभाव, अनुसन्धान की कुछ त्रुटियाँ अथवा सामान्य एवं गौण विरोधाभास अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित नहीं करते। उपलब्ध समस्त मौखिक, चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य परस्पर एक–दूसरे की पुष्टि करते हुए अभियुक्तगण के अपराध को सन्देह से परे स्थापित करते हैं।

(71) इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक, चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि दिनांक 16.04.2023 को अभियुक्त इमरान खान, इरफान खान एवं मकसूद खान एक साथ घटनास्थल पर उपस्थित थे तथा तीनों ने संयुक्त रूप से मृतक फरमान तथा मजरूब आरिफ एवं युसुफ पर प्राणघातक हमला किया। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों **पी.डब्ल्यू. 1 इरफान, पी.डब्ल्यू. 5 युसुफ, पी.डब्ल्यू. 8 शौकत, पी.डब्ल्यू. 9 आरिफ तथा पी.डब्ल्यू. 14 शौकत अली** के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि तीनों अभियुक्त एक–दूसरे के साथ थे, सभी के हाथों में कठोर हथियार थे तथा सभी ने एक ही घटना में सम्मिलित होकर लगातार मारपीट की। इन प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों को चिकित्सीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से प्राप्त रक्तरंजित आलामात तथा अनुसन्धान के दौरान की गई बरामदगियों से पर्याप्त पुष्टि प्राप्त होती है।

(72) यद्यपि बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किस विशेष चोट का प्रहार किया गया, यह स्पष्ट नहीं है, तथापि यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का मूल सिद्धान्त यह है कि जब अनेक व्यक्ति पूर्व अथवा तत्काल विकसित सामान्य आशय (Common Intention) से किसी अपराध को अंजाम देते हैं तब प्रत्येक अभियुक्त उस अपराध के सम्पूर्ण परिणाम के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण विरले ही उपलब्ध होता है तथा उसका अनुमान अभियुक्तों के सामूहिक आचरण, घटना के समय उनकी उपस्थिति, हथियारों से लैस होकर एक साथ हमला करने तथा घटना के पूर्व एवं पश्चात उनके व्यवहार से लगाया जाता है।

(73) हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा एक साथ घटनास्थल पर उपस्थित होकर लोहे के पाइप एवं लाठी जैसे कठोर हथियारों से संयुक्त रूप से हमला करना, मृतक एवं घायलों को गम्भीर चोटें पहुँचाना तथा घटना का परिणामस्वरूप फरमान की मृत्यु होना, यह सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से सामान्य आशय का द्योतक हैं। अतः अभियुक्तगण अपने–अपने व्यक्तिगत प्रहारों के अतिरिक्त सामूहिक परिणाम के लिए भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। मृतक फरमान के सम्बन्ध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी –39 तथा **पी.डब्ल्यू. 23 डॉ. प्रियंका शर्मा** की साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि मृतक के सिर पर कुन्द हथियार से कारित गम्भीर चोट लगी, जिसके कारण कम्यूनिटेड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर एवं मस्तिष्क में व्यापक रक्तस्राव हुआ तथा उसी चोट के परिणामस्वरूप कोमा उत्पन्न होकर उसकी मृत्यु हुई। चिकित्सकीय राय स्पष्ट रूप से यह है कि उक्त चोट साधारण प्रकृति के क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार मृतक की मृत्यु हिंसात्मक होना पूर्णतः सिद्ध है।

(74) इसी प्रकार मजरूब आरिफ के सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू. 24 डॉ. जमशीद बानो** की साक्ष्य, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–43 तथा चिकित्सकीय राय से यह सिद्ध होता है कि उसके सिर पर गम्भीर चोट आई, जिसके परिणामस्वरूप एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज पाया गया और चिकित्सकीय रूप से उसे प्राणघातक माना गया। वहीं मजरूब युसुफ के सम्बन्ध में **पी.डब्ल्यू. 25 डॉ. आशीष तिवाड़ी** की साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उसके शरीर पर कुन्द हथियार से कारित साधारण चोटें आई। अतः अभियोजन द्वारा तीनों पीड़ितों को लगी चोटों का स्वरूप भी विधिवत सिद्ध कर दिया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मृतक के शरीर पर केवल एक ही घातक चोट थी, इसलिए अन्य अभियुक्त उत्तरदायी नहीं हो सकते। यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब अनेक अभियुक्त सामान्य आशय से एक साथ हमला करते हैं तब यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा पृथक –पृथक प्राणघातक चोट पहुँचाई गई हो। यदि सामूहिक हमले का स्वाभाविक परिणाम मृत्यु के रूप में सामने आता है तो धारा 34 के सिद्धान्त के अनुसार सभी अभियुक्त समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि "single fatal blow" का सिद्धान्त प्रत्येक मामले में स्वतः लागू नहीं होता बल्कि सम्पूर्ण घटना की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है।

(75) घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा मृतक एवं घायलों के सिर जैसे अत्यन्त संवेदनशील अंगों पर लोहे के पाइप एवं लाठी जैसे कठोर हथियारों से प्रहार करना, प्रहारों की तीव्रता तथा उनके परिणाम स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि अभियुक्तगण को कम से कम यह ज्ञान अवश्य था कि उनके ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित होना अत्यन्त संभावित है। इस प्रकार उनका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत हत्या की श्रेणी में आता है तथा धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय है। बचाव पक्ष द्वारा इसे आकस्मिक झगड़ा अथवा धारा 304 के अन्तर्गत लाने का प्रयास अभिलेखीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। इसी प्रकार आरिफ के सिर पर लोहे के पाइप से किया गया प्रहार भी शरीर के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पर किया गया था। यदि समय पर चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती तो उसके जीवन को भी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः अभियुक्तगण का यह कृत्य धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक घटकों को पूर्ण करता है। हत्या के प्रयास के अपराध में वास्तविक मृत्यु होना आवश्यक नहीं है , अभियुक्त का आशय अथवा ज्ञान तथा प्रहार की प्रकृति ही निर्णायक होती है। युसुफ के साथ की गई मारपीट से उसके शरीर पर साधारण चोटें आई, जो चिकित्सीय साक्ष्य से सिद्ध हैं। अतः अभियुक्तगण का कृत्य धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भी सिद्ध होता है। इसी प्रकार अभियुक्तगण द्वारा रास्ता रोककर हमला करना प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से सिद्ध है, जिससे धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व भी पूर्ण होते हैं।

(76) जहाँ तक न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है। विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **S.B. cri.revision Petition 375/2025 Ishtiyaq Ahamed v/s state of rajasthan Anr. Rajasthan hight court jodhpur** के मामले में धारा 326 व 307 भारतीय दण्ड संहिता की चोटों की गम्भीरता तय करने हेतु चिकित्सीय साक्ष्य के तहत रेडियोलॉजिस्ट की साक्ष्य आवश्यक होनी पाई गई

थी परन्तु हस्तगत प्रकरण में मृतक के चोटें कारित होने के साथ–साथ मजरूब के सिर जैसे मार्मिक अंग में आई चोट बाबत पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली है।

(77) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **1994 SCC SUPL. (2) 289 JT 1994(4) 62 Maniram vs state of U.P on 13 May, 1994** का प्रकरण एक एकल प्रत्यक्षदर्शी (solitary eye witness) की साक्ष्य पर आधारित था, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय एवं विशेषज्ञ साक्ष्य से नहीं हो सकी थी। जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन का मामला अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की परस्पर संगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है, जिसकी पूर्ण पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं चोट प्रतिवेदनों से होती है।

(78) न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 SC 533 Kapildeo Mandal and Ors vs state of bihar के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

> ... ..Now it is well settled by series of decisions of this Court that while appreciating the evidence of the witnesses related to the deceased, having strained relations with the accused party, their evidence cannot be discarded solely on that basis, but the court is required to carefully scrutinize it and find out if there is scope for taking view whereby the court can reach to the conclusion that it is a case of false implication. The credibility of a witness cannot be judged merely on the basis of his close relation with the deceased and as such cannot be a ground to discard his testimony, if it otherwise inspires confidence and, particularly so, when it is corroborated by the evidence of independent and injured witnesses. Speaking for a 5–Judge Bench in a celebrated judgment, viz., Masalti and Ors. v. The State of Uttar Pradesh, AIR 1965 SC 202 (in para 14), P.B. Gajendragadkar, C.J. said:
>
> " There is no doubt that when a criminal Court has to appreciate evidence given by witnesses who are partisan or interested, it has to be very careful in weighing such evidence. Whether or not there are discrepancies in the evidence; whether or not evidence strikes the Court as genuine; whether or not the story disclosed by the evidence is probable, are all matters which must be taken into account. But it would, we think, be unreasonable to contend that evidence given by witnesses should be discarded only on the ground that it is evidence of partisan or interested witnesses. Often enough, where factions prevail in villages and murders are committed as a result of enmity between such factions, criminal Courts have to deal with evidence of a partisan type. The mechanical rejection of such evidence on the sole ground that it is a partisan would invariably lead to failure of justice. No hard and fast rule can be laid down as to how much evidence should be appreciated. Judicial approach has to be cautious in dealing with such evidence; but the plea that such evidence should be rejected because it is partisan cannot be accepted as correct."

उक्त प्रकरण में घटना रात के अन्धेरे में मृतक के घर के अन्दर घुसकर कारित की गई है और घटना पक्षकारानत के मध्य जमीन के विवाद के कारण हुई थी और मौखिक चिकित्सकीय साक्ष्य में भिन्नता होना पाई गई थी किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्य सर्वथा भिन्न हैं। यहाँ घटना सार्वजनिक मार्ग पर दिन के समय घटित हुई है, अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण स्वाभाविक एवं घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिनके कथनों की पुष्टि घायल साक्षियों , चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है। अतः केवल इस आधार पर कि कुछ साक्षी मृतक अथवा घायल के रिश्तेदार हैं, उनकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

(79) इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **2013 AIR SCW 2278 Sunil kandu and Anr vs state of Jharkhand** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

> 19. We began by commenting on the unhappy conduct of the investigating agency. We conclude by reaffirming our view. We are distressed at the way in which the investigation of this case was carried out. It is true that acquitting the accused merely on the ground of lapses or irregularities in the investigation of a case would amount to putting premium on the deprecable conduct of an incompetent investigating agency at the cost of the victims which may lead to encouraging perpetrators of crimes. This Court has laid down that the lapses or irregularities in the investigation could be

> ignored subject to a rider. They can be ignored only if despite their existence, the evidence on record bears out the case of the prosecution and the evidence is of sterling quality. If the lapses or irregularities do not go to the root of the matter, if they do not dislodge the substratum of the prosecution case, they can be ignored.

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि यदि अनुसन्धान में कुछ त्रुटियाँ अथवा अनियमितताएँ रह भी जाएँ तो मात्र उसी आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे त्रुटियाँ अभियोजन के मूल स्वरूप को प्रभावित न करती हों। हस्तगत प्रकरण में भी यद्यपि बचाव पक्ष ने अनुसन्धान सम्बन्धी कुछ कमियों की ओर संकेत किया है, तथापि वे प्रकरण के मूल आधार को प्रभावित नहीं करती क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, घायल साक्षियों के कथन, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियोजन के घटनाक्रम की पूर्ण पुष्टि करते हैं।

(80) न्यायिक दृष्टान्त **Criminal Appeal NO. 1786/2023 Naresh @ Nehru vs the state of hariyana on 9 Oct, 2023** के मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कारित करने का कॉमन ऑबजेक्ट तथा आशय साबित ही नहीं हुआ था और अभियुक्तगण को मृतक से जोड़े की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं पाई गई थी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षीगण के सुसंगत एवं विश्वसनीय कथनों, चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है कि अभियुक्तगण एक राय होकर घातक हथियारों से घटना कारित करने पहुँचे तथा सामान्य आशय से मारपीट कर मृतक फरमान की मृत्यु एवं मजरूब आरिफ तथा युसुफ को चोटें कारित कीं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य हस्तगत प्रकरण से सर्वथा भिन्न होने के कारण अभियुक्तगण को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

(81) न्यायिक दृष्टान्त **1990(1) WLN 139 Ghasi And Anr. Vs state of rajasthan** के मामले में अपराध कारित करने का सामान्य आशय साबित होने के आधार पर अपील खारिज करे अभियुक्तगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। हस्तगत प्रकरण में भी प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षीगण की विश्वसनीय साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण एक राय होकर घातक हथियारों से घटना कारित करने पहुँचे तथा सामान्य आशय से मृतक फरमान की हत्या एवं मजरूब आरिफ तथा युसुफ को चोटें कारित की।

(82) न्यायिक दृष्टान्त **2015 AIR SCW 3248 Criminal Appeal No. 181/2013 Golbar Hussain And Ors vs state of Assam And Anr on 28 april, 2015 (Supreme court)** के मामले में गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास होने पाए गए थे और गवाह विश्वसनीय होना नहीं पाए गए थे और स्वतन्त्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गया था। किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षीगण की साक्ष्य स्वाभाविक, संगत एवं विश्वसनीय है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से होती है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होता। न्यायिक दृष्टान्त **Criminal Appeal No. 1535-1538/2004 Balbir vs Vazir And Other on 1 july, 2014 (Supreme court)** के मामले में अभियुक्तगण की पहचान से सम्बन्धित प्रश्न था परन्तु हस्तगत प्रकरण में तो स्वीकृत तौर पर पक्षकार एवं गवाहान एक दूसरे को ना केवल जानते थे अपितु रिश्तेदार भी थे।

(83) न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2004 SC 1080 State of rajasthan vs Taran Singh and Anr.** के मामले में घटनास्थल पर अभियोजन गवाहान की उपस्थिति सन्दिग्ध होनी पाई गई थी और इन गवाहान द्वारा मृतक को घटनास्थल से अस्पताल ले जाने बाबत साक्ष्य भी सन्दिग्ध थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी देरीना दर्ज होना पाया गया था जो हस्तगत प्रकरण से भिन्न तथ्य है।

(84) न्यायिक दृष्टान्त **Criminal Appeal NO. 832/2002 State Rep. By Inspector of Police vs Saravanan and Anr on 14 October, 2008 (Supreme court)** के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय में देरी से पेश की गई थी तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध से मृतक की मृत्यु होने की स्पष्ट

साक्ष्य पत्रावली पर नहीं पाई गई थी परन्तु इस प्रकरण में भी अपराध के दौरान आई चोटों से मृतक की मृत्यु होने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है।

(85) उपरोक्त विवेचनानुसार अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का समग्र परीक्षण करने पर यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त इमरान खान, इरफान खान एवं मकसूद खान ने सामान्य आशय से मृतक फरमान की हत्या कारित की, मजरूब आरिफ के प्राणघातक चोट कारित कर उसकी हत्या का प्रयास किया, मजरूब युसुफ को स्वेच्छया चोटें पहुंचाई तथा उसका मार्ग अवरुद्ध किया। अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियोजन के पक्ष में तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न संख्या – दो

(86) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन यह सन्देह से परे प्रमाणित हुआ है कि दिनांक 16.04.2023 को शाम लगभग 05:35 बजे ग्राम घांघू में मस्जिद से परिवादी युसुफ के घर जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर अमीष डिजिटल स्टूडियो के पास अभियुक्तगण इमरान खां, इरफान खां एवं मकसूद खां ने अपने सामान्य आशय से परिवादी युसुफ खां, फरमान खां एवं आरिफ खां का मार्ग अवरुद्ध कर लोहे के पाइप/सरियों एवं लाठी जैसे कठोर हथियारों से मारपीट की, जिससे फरमान खां के सिर पर प्राणघातक चोट कारित होकर उसकी मृत्यु हुई तथा इसी घटना में आरिफ खां के सिर पर प्राणघातक प्रकृति की चोटें कारित कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया तथा परिवादी युसुफ खां को साधारण चोटें कारित की गई। अतः अभियुक्तगण धारा 302/34, 307/34, 323/34 एवं 341/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषी ठहराए जाने योग्य हैं।

–: आ दे श :–

(87) अतः अभियुक्त (1) इमरान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू (2) इरफान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू व (3) मकसूद खान पुत्र फैजू खान उम्र 53 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को 302, 307, 323 एवं 341 सपठित 34 के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर पृथक से सुना जाएगा।

(88) अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर है जिनके न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

सजा का प्रश्न

(89) सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। उनकी ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण प्रथम अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। यह भी निवेदन किया गया कि अभियुक्त मकसूद बुजुर्ग है तथा अन्य दोनों जवान लड़के है जिनके आश्रित परिवारजन उनके कारावास से अत्यधिक प्रभावित होंगे। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में पर्याप्त अवधि व्यतीत कर चुके हैं। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण की व्यक्तिगत दशा को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यूनतम दण्ड प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

(90) इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से लोहे के पाइप एवं लाठी जैसे घातक हथियारों से निहत्थे व्यक्तियों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक युवक फरमान की मृत्यु हो गई तथा आहत आरिफ को प्राणघातक एवं आहत युसुफ को साधारण चोटें आई। अतः अभियुक्तगण को कठोरतम कारावास एवं उपयुक्त अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया।

(91) दोनों पक्षों के तर्कों पर सम्यक् विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक, चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह सिद्ध हो चुका है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से सार्वजनिक मार्ग पर घातक हथियारों द्वारा हमला कर मृतक फरमान की हत्या कारित की, आरिफ की हत्या का प्रयास किया तथा युसुफ को स्वेच्छया चोटें पहुँचाई। यह अपराध न केवल एक व्यक्ति के जीवन पर घातक आघात है बल्कि समाज में विधि–व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा की भावना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। ऐसे हिंसात्मक अपराधों के प्रति न्यायालय का दायित्व केवल अभियुक्तों के प्रति न्याय करना ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी न्याय सुनिश्चित करना है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, अपराध की प्रकृति, अभियुक्तगण की भूमिका पर विचार करने के उपरान्त अभियुक्तगण उदारता के पात्र नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

– द ण्डा देश –

(92) अतः अभियुक्तगण (1) इमरान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू (2) इरफान खान पुत्र जाफर खान उम्र 36 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू व (3) मकसूद खान पुत्र फैजू खान उम्र 53 वर्ष निवासी घांघू पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः–

क्रम संख्या	नाम अभियुक्त	धारा	दण्ड
1	इमरान खान	302 IPC	आजीवन कारावास एवं 50000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।
		307 IPC	10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।
		323 IPC	06 माह के साधारण कारावास एवं 1,000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।
		341 IPC	01 माह के साधारण कारावास एवं 500/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।
2	इरफान खान	302 IPC	आजीवन कारावास एवं 50000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।
		307 IPC	10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।
		323 IPC	06 माह के साधारण कारावास एवं 1,000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।
		341 IPC	01 माह के साधारण कारावास एवं 500/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।
3	मकसूद खान	302 IPC	आजीवन कारावास एवं 50000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से

			दण्डित किया जाता है।
		307 IPC	10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।
		323 IPC	06 माह के साधारण कारावास एवं 1,000/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।
		341 IPC	01 माह के साधारण कारावास एवं 500/– रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

(93) अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी कारावास से दण्डित मूल अपराध की सजाएँ साथ–साथ चलेगी। अदम अदायगी अर्थदण्ड में भुगताए जाने वाली सजा मूल सजा की समाप्ति पर भुगताई जाएगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि उनकी उक्त मूल सजा में से समायोजित की जावे। तद्नुसार अभियुक्तगण का सजा वारण्ट बनाया जावे।

(94) अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमा करवाई गई बतौर अर्थदण्ड की राशि बाद गुजरने मियाद अपील तथा अपील होने की सूरत में अपील के निस्तारण के पश्चात् आहतगण आरिफ एवं युसुफ को क्रमशः 25000 व 10000 रुपये तथा मृतक के परिवारजन को एक लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे। इसके अतिरिक्त पीड़ित पक्ष को यथोचित रूप से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू को अनुशंषा की जाती है। इस सम्बन्ध में तहरीर पृथक से निर्णय की प्रति के साथ भेजी जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावे।

(95) इस प्रकरण में अभियुक्तगण जाफर व खुशी उर्फ शमशेर के विरुद्ध अनुसन्धान धारा 173(8) के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता में लम्बित रखा गया है। अतः पत्रावली को नष्ट नहीं करने का नोट लाल स्याही से मुख्य पृष्ठ पर लगाया जावे।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

(96) निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 13 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.07.18 17:03:16 +0530